इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड *(इरकॉनपीबीटीएल)*

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

सीआईएन: U45400DL2014GOI272220

पांचवीं (5वीं) वार्षिक रिपोर्ट

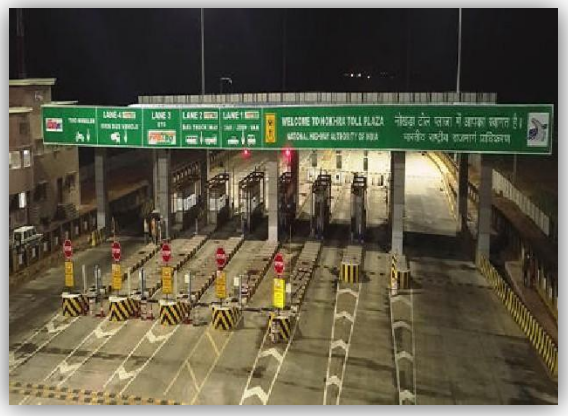

कंपनी की परियोजना

"भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण"

निदेशक मंडल

श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक
श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक
श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक
सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री अतुल कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री संजय पोद्दार, मुख्य वित्त अधिकारी
श्री सुदोधनी, कंपनी सचिव

बोर्ड समितियां

1. लेखापरीक्षा समिति - श्री आनन्द कुमार सिंह, अध्यक्ष
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष
3. सीएआर एवं धारणीयता समिति, सुश्री अनुपमा बेन, अध्यक्ष

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखाकार

मैसर्स रवी सहानी एंड कंपनी,
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्री चैतन्य उद्गिर्कर,
पेशेवर कंपनी सचिव

कंपनी का ईपीसी कांट्रैक्टर

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

सम्पर्क अधिकारी

सुश्री सुदोधनी कंपनी
सचिव
ईमेल आईडी: busi.info.irconpbtl@gmail.com
दूरभाष: 011-26545767, मो.: 9818119256

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली - 110017

विजन एवं मिशन विवरण

विजन

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर बीकानेर-फलौदी खंड की राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए कंपनी की स्थापना और विकास तथा इससे राजमार्ग परियोजना प्रयोक्ताओं के लाभ को सुनिश्चित करना और निर्मित टोल प्लाजा से उच्च राजस्व सुनिश्चित करना और कंपनी को इष्टतम समयावधि के भीतर अनुमानित परियोजना परिणामों के निर्धारित मानकों के स्तर तक पहुंचाना।

मिशन

(i) स्थल नियोजन, परियोजना गतिविधियों के अनुसूचन, भूमि के समतलीकरण व सतहीकरण तथा निर्माण की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रणालियों के संस्थापन द्वारा निर्माण कार्य करना।

(ii) परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालनीकरण की उत्तरदायित्वपूर्ण मॉनीटरिंग करना।

(iii) टोल दरों पर नियंत्रण रखकर रियायत की समयावधि के दौरान राजमार्ग के संवर्धित प्रयोग को सुनिश्चित करना, जिससे सड़क पर अधिक से अधिक कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन संभव हो सके तथा प्रभावपूर्ण यातायात सैंपलिंग के आधार पर टोल दरों को संशोधित करना।

(iv) अपेक्षित क्षेत्रों में लागत तथा चैनलिंग संसाधनों में कमी करना।

कंपनी का सृजन

कंपनी का शिलान्यास 30 सितंबर 2014 को किया गया था
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार के अनुसार रियायतग्राही के रूप में निगमित

.....

एनएचएआई बीओटी राजमार्ग परियोजना

व्यावसायिक उद्देश्य

<u>परियोजना राजमार्ग का निर्माण, अनुरक्षण, कार्य आरंभ एवं प्रचालन</u>

राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण

.....

चार लेन: 51.05 किमी और दो लेन: 108.250 किमी

ईपीसी ठेकेदार

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)

रियायत अवधि : **26** वर्ष

दिनांक 07.11.2014 को हस्ताक्षरित रियायत करार के माध्यम से परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विशिष्ट अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत प्रदान की गई है

परियोजना चरण : प्रचालन और अनुरक्षण चरण

टोल प्रचालन का आरंभ : दिनांक 15 फरवरी 2019 (अनन्तिम सीओडी)

शेष परियोजना कार्य निरंतर प्रगतिरत

इक्विटी और ऋण पूंजी

(31 **मार्च 2019 को**)

शेयर पूंजी का विवरण	**राशि रूपए में**
प्राधिकृत शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 17,50,00,000 शेयर)	**1,75,00,00,000**
अंशदायी एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर)	**165,00,00,000**
ऋण पूंजी	
ऋण (रक्षित ऋण) (ब्याज दर : एसबीआई मूल दर +0.50% प्र.व)	**3,37,85,00,000**

31 **मार्च 2019 को इक्विटी शेयर पूंजी और ऋण पूंजी**

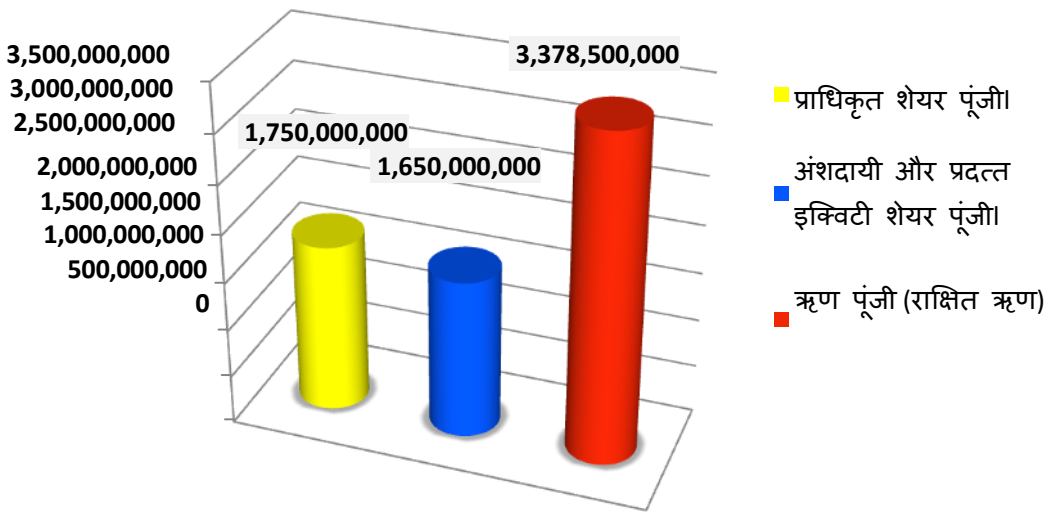

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के निदेशक मंडल

[अंशकालीन (नामिती) निदेशक]

श्री दीपक सबलोक

अध्यक्ष, निदेशक (परियोजना), इरकॉन

श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक

कार्यपालक निदेशक/परियोजना, इरकॉन

श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक

कार्यपालक निदेशक/वित्त, इरकॉन

श्री राजेन्द्र सिंह यादव

निदेशक

परियोजना निदेशक/वडोदरा, इरकॉन

सुश्री अनुपम बेन

निदेशक

मुख्य महाप्रबधक/एचआरएम, इरकॉन

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अतुल कुमार
मुख्य कायपालक अधिकारी
[31.05.2019 से]

श्री संजय पोद्दार
मुख्य वित्त अधिकारी
[20.02.2018 से]

सुश्री सुदोधनी
कंपनी सचिव

इरकॉन पीबीटीएल की वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ सं
1.	पांचवीं (5वीं) वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस	
2.	बोर्ड की रिपोर्ट	
3.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	
	इंड एएस लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (2018-19)	
	➢ तुलन पत्र	
	➢ लाभ और हानि विवरण	
	➢ रोकड़ प्रवाह विवरण	
	➢ इक्विटी परिवर्तन विवरण	
	➢ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	
	➢ लेखों के नोट	
	➢ वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नोट	
4.	उपस्थिति पर्जी एवं प्रॉक्सी फॉर्म	

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ('इरकॉन पीबीटीएल') की पांचवीं (5वीं) वार्षिक आम बैठक का नोटिस

एतदद्वारा अल्पसूचना दी जाती है कि इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपबीटीएल) के सदस्यों की पांचवीं (5वीं) वार्षिक आम बैठक सोमवार, 26 अगस्त 2019 के अध्यक्ष कक्ष, तीसरी मंजिल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बिल्डिंग, सी -4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली में 1600 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्न विषयों पर कार्रवाई की जाएगी:

साधारण कार्य: -

1. दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरण के और संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट और निगमित शासन पर रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों सहित यदि कोई है, की रिपोर्ट को प्राप्त करने, विचार करने और स्वीकार करने हेतु।

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचर करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे आशोधन (आशोधनों सहित) या रहितपारित करने हेतु: -

"संकल्प किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी के तुलन पत्र सहित सहित कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार, लेखों के संलग्न नोटों और वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के साथ-निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन विचारविर्मश और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को परिपत्रित किए गए हैं और बैठक के समक्ष प्रस्तुत हैं, को एतदद्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाता है।

2. वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधि लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु।

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचर करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे आशोधन (आशोधनों सहित) या रहितपारित करने हेतु: -

" संकल्प किया जाता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के साथ पठित 139 (5) के संदर्भ नियुक्ति में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक, यदि कोई हो, हेतु दिनांक 01.04.31.03.2020 के वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के सुझावां के आधार पर निर्णय लेने व पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

<u>विशेष कार्य:-</u>

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों - मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकारों के पारिश्रमिक मे परिवर्तन करने हेतु।

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचर करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे आशोधन (आशोधनों सहित) या रहितपारित करने हेतु: -

"कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 और कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण सं. 100193, और पंजीकृत कार्यालय सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110032 को (किसी भी वैधानिक आशोधन या संशोधन के साथ), वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 40,000/- जमा लागू कर पर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने को एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों - मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकारों के पारिश्रमिक मे परिवर्तन करने हेतु।

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचर करने और यदि उपयुक्त समझा जाए उसे आशोधन (आशोधनों सहित) या रहित पारित करने हेतु: -

"कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 और कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार, फर्म पंजीकरण सं. 100193, और पंजीकृत कार्यालय सी-40, वेस्ट गोरख पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110032 को (किसी भी वैधानिक आशोधन या संशोधन के साथ), वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 60,000/- जमा लागू कर पर कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने को एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,

(सुदोधनी)
कंपनी सचिव
एसीएस सं. 36883

दिनांक007.08.2020
स्थान: नई दिल्ली

नोट:

1. **„¹ã¾ãìÃ‡ã‹¦ã ºãõŸ‡ãŠ ½ãò „¹ãããÔ©ã¦ã Öãñ¶ãñ ,ããõÀ ½ã¦ã ªñ¶ãñ ‡ãŠã Ö‡ãŠªãÀ ‡ããâŠ¹ã¶ããè ‡ãŠã Ôãªô¾ã ,ã¹ã¶ãñ Ô©ãã¶ã ¹ãÀ „¹ãããÔ©ã¦ã Öãñ¶ãñ ,ããõÀ ½ã¦ã ªñ¶ãñ ‡ããñŠ ããÊã† ¹ãÀããñàããè(¹ãÆã‡ã‹Ôããè) ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¼ããè Ö‡ãŠªãÀ Öõ ,ããõÀ ¹ãÀããñàããè ‡ããñŠ ããÊã† ‡ããâŠ¹ã¶ããè ‡ãŠã Ôãªô¾ã Öãñ¶ãã ,ããÌãÍ¾ã‡ãŠ ¶ãÖãé Öõý**

‡ããâŠ¹ã¶ããè ,ãããä£ãããä¶ã¾ã½ã, 2013 ‡ããñŠ ¹ãÆãÌã£ãã¶ããò ‡ããñŠ ,ã¶ãìÔããÀ, †‡ãŠ Ì¾ãããä‡ã‹¦ã Ôãªô¾ããò ‡ãŠãè ,ããñÀ Ôãñ ¹ãÀããñàããè ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ,ãªã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ¶¦ãì 50 Ôãªô¾ããò Ôãñ ,ãããä£ã‡ãŠ ‡ããñŠ ããÊã† ¶ãÖãé ,ããõÀ ‡ããâŠ¹ã¶ããè ‡ãŠãè ‡ãìŠÊã Íãñ¾ãÀ ¹ãîâ•ããè ‡ããñŠ Ôã½ãØãÆ 10 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ ,ãããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãè £ããããÀ¦ãã ‡ããñŠ ããÊã† ¶ãÖãéý ‡ãìŠÊã ¹ãîâ•ããè Íãñ¾ãÀããò ‡ããñŠ 10 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã Ôãñ ,ãããä£ã‡ãŠ ‡ãŠãè £ããããÀ¦ãã ÌããÊãã Ôãªô¾ã ‡ããñŠÌãÊã †‡ãŠ Ì¾ãããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ¹ãÀããñàããè ‡ããñŠ Á¹ã ½ãò ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ,ããõÀ †ñÔãã Ì¾ãããä‡ã‹¦ã ãä‡ãŠÔããè ,ã¶¾ã Ì¾ãããä‡ã‹¦ã ¾ãã Ôãªô¾ã ‡ããñŠ ããÊã† ¹ãÀããñàããè ‡ãŠãè ¼ãîãä½ã‡ãŠã ,ãªã ¶ãÖãé ‡ãŠÀñØããý

प्रॉक्सी की नियुक्ति के प्रलेख को प्रभावी बनाने के लिए उसे बैठक के निर्धारित समय से अड़तालीस (48) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, पूरी तरह से भरकर और हस्ताक्षरित भेजना होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति पचास से अधिक (50) सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और मताधिकार धारक कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक नहीं रख सकता है। मताधिकार धारक कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक सदस्य रखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, यदि वह व्यक्ति या शेयरधारक के

लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा। प्रॉक्सी की नियुक्ति प्रपत्र संख्या एमजीटी-11 पर सलगन है।

सदस्यों/प्रॉक्सी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ अपने विधिवत भरे उपस्थिति पर्ची को लाएँ। बैठक में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने वाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति भेजें और अपने प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अधिकृत करें।

2. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में अधिक हैं, वोट देने के हकदार होंगे।

3. पहली बार में हाथ उठाकर मतदान होना। व्यक्ति के पास मौजूद प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा। जब धारा 109 के तहत मतदान की मांग की जाती है, तो प्रत्येक सदस्य को उसके / उसके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देना होगा।

4. सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम 2 दिन पहले अपने प्रश्न भेजें, ताकि बैठक में जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

5. पूरी बैठक में कंपनी के पांच सदस्य (शेयरधारक) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

6. सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि कंपनी को तत्काल अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना प्रदान करेंरें।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-101 और 136 के अधीन संबद्ध नियम, जो संबंधित नियमों के अनुसार बनाए गए हैं, कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संचार उन सदस्यों को दे सकती हैं, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अब कंपनी को इस संबंध में एक अनुरोध पत्र जमा करके पंजीकरण करा सकते हैं।

8. वार्षिक आम बैठक उपस्थिति पर्ची की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि सदस्यों ने उसी की हार्ड कॉपी के लिए अलग से अनुरोध न किया हो। वार्षिक आम बैठक उपस्थिति पर्ची के नोटिस की भौतिक प्रतिलिपि उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-170 के तहत बनाए गए निदेशकों का रजिस्टर और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनकी हिस्सेदारी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिनमें निदेशक हित रखते हैं, वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

10. साधारण व्यावसायिक मदों के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी 1 तथा 2 के रूप में इस सूचना के रूप में संलग्न है।

11. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के लिए विधिवत संलग्न है।

12. पंजीकृत कार्यालय के स्थान (बैठक का स्थान) के लिए प्रमुख लैंडमार्क सहित रूट मैप भी इस नोटिस से संलग्न है।

सेवा

1. **कंपनी के सभी शेयरधारक**
2. **कंपनी के सभी निदेशक**
3. **मेसर्स प्रवीण अग्रवाल एंड कंपनी**

   सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक)
4. **पेशेवर सीएस चैतन्य उदगीर**

पेशेवर कंपनी सचिव(सचिवीय लेखापरीक्षकर)

5. मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी

लागत लेखाकार (लागत लेखापरीक्षक)

<u>अनुलग्नक</u>

वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किए जाने वाले साधारण कार्य के संबंध में संक्षिप्त विवरण

मद संख्या 1: -

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों और संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक विवरणी का सार, और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों, यदि कोई हो, को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और स्वीकार हेतु।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण और इसकी टिप्पणियां व अनुबंध और वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की मसौदा रिपोर्ट, को 02.05.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 33वीं बैठकमें स्वीकार और नोट किया गा है। अनुमोदित और अनुमोदित किए गए थे। दिनांक 17.05.2019 अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट को जारी और हस्ताक्षरित की गई थी।

निदेशक मंडल द्वारा 29.07.2019 को आयोजित बैठक में निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन विचाविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट, फॉर्म एओसी-2, निगमित शासन रिपोर्ट, सामाजिक निगमित उत्तरदायित्व और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया था।।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की गई है। उक्त वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणी, यदि कोई हो, को कंपनी के एजीएम में रखा जाएगा।

मद संख्या 2: -

वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। तदनुसार, भारत

के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

जहां तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के संदर्भ में वैधानिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण का संबंध है, कियी अन्य विषय पर निर्णय लेने या प्राधिकारजारी कने के निर्णय क अनुसरण में सदस्यों द्वारा कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय किया जाना है, । इसके अतिरिक्त, डीपीई द्वारा जारी किए गए कंपनी अधिनियम, 2013 और निगमित शासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के कार्यों में से एक कार्य, निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना है, और इसके लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए अनुमोदन भी है।

इस प्रकार, उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग पर और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी के प्रबंधन और लेखापरीक्षकों को, वित्तीय लेनदेन के पैमाने की समीक्षा करने की आवश्यकता है, वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया जाना है, जिसमें आउट ऑफ पॉकेट व्यय शामिल है, के संबंधममेंलेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल (इसके लिए प्राधिकार देकर) द्वारा निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए स्वीकृत पारिश्रमिक रू.75,000/- जमा कर कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक 75,000/- (रुपए सत्तर पांच हजार केवल) से आरंभ होने की संभावना है।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक और अनुमेय खर्चों का निर्धारण करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है और सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करें।

नोट: कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक किसी भी तरह से साधारण घरेलू मदों के संकल्प से संबंधित या हितधारित नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-102 के अंतर्गत विवरणात्मक विवरण

मद सं. 3: कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन - मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार - वित्तीय वर्ष 2018-19

दिनांक 25 मार्च 2019 को आयोजित आपकी 31वीं बैठक में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों - मेसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ।

कंपनी (लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड) नियम, 2014 के नियम 14 के संदर्भ में, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक में परिवर्तन किया जाना है।

तदनुसार, उक्त बैठक में लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक रु. 40,000/- जमा लागू कर का स्वीकृति प्रदान की गई है।

शेयरधारकों को अनुरोध किया जाता है कि वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

मद सं. 4: कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में संशोधन - मेसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार - वित्तीय वर्ष 2019-20

दिनांक 29 जुलाई 2019 को आयोजित आपकी 35वीं बैठक में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों - मेसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ।

कंपनी (लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड) नियम, 2014 के नियम 14 के संदर्भ में, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक में परिवर्तन किया जाना है।

तदनुसार, उक्त बैठक में लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक रु. 60,000/- जमा लागू कर का स्वीकृति प्रदान की गई है।

बोर्ड की रिपोर्ट

कंपनी के सदस्य
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यावसाय तथा प्रचालनों पर **पांचवीं (5वीं) वार्षिक रिपोर्ट** और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (यदि कोई हो) प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

व्यावसायिक परिदृश्य : गतिविधियों की वर्तमान स्थिति

आपकी कंपनी को अपने मुख्य व्यावसायिक प्रयोजन के रूप मे एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन, और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की परियोजना के निष्पादन के लिए एनएचएआई द्वारा जारी एलओए के अनुसरण में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटड (इरकॉन) द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्युओएस) के रूप में दिनांक 30 सितंबर 2014 को निगमित किया गया है।

बीकानेर-फलौदी परियोजना निष्पादन की नुमोदित कुल परियोजना लागत (टीपीसी) 844 करोड़ रुपए है जिसे निम्नानुसार विभाजित किया गया है: -

1. इक्विटी शेयर पूंजी: 165 करोड़ रुपए
2. ऋण पूंजी (सुरक्षित ऋण): 352 करोड़ रुपए, और
3. एनएचएआई अनुदान (रोकड़ सहायता): 327 करोड़ रुपए

दिनांक 31 मार्च 2019 को कंपनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी 175 करोड़ रूपए तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 165 करोड़ रूपए है। त्रण पूंजी (दीर्घकालीन ऋण) 337.85 करोड़ रूपए मूल्य के हैं।

बीकानेर-फलोदी परियोजना निर्माण कार्य का अधिकतर भाग पूरा हो गया है और शेष कार्य के अक्तूबर 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

परियोजना प्रचालन आरंभ

(वाणिज्यिक टोलवे प्रचालन का प्रारंभ)

परियोजना अब प्रचालन एंव अनुरक्षण (ओएंडएम) चरण में प्रवेश कर चुकी है अर्थात अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) की तारीख से वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन आरंभ हो गया है और टोल आय अर्जन आरंभ कर दिया गया है।

दिनांक15 फरवरी 2019 को राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा में स्थित तीन टोल प्लाजा पर वाणिज्यिक टोल प्रचालन आरंभ करने के लिए उक्त अनंतिम सीओडी जारी की गई है, और तदनुसार, तीन टोल प्लाजा पर राजस्व या टोल एकत्रण कार्य जारी है। ।

<u>टोल राजस्व</u>

परियोजना के चालू होने के कारण, परियोजना ने टोल प्रचालनों (टोल आय) के अंतर्गत, तीनों टोल प्लाज़ा से आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। निम्नलिखित तिथियों से राजस्व एकत्रण कार्य प्रगति पर है: -

टोल/कॉरीडोर का नाम	टोल राजस्व आरंभ तिथि
1. सालासार (टीपी – 1)	20.02.2019
2. नोखरा (टीपी – 2)	22.02.2019
3. खेरवा (टीपी – 3)	24.02.2019

वित्तीय निष्पादन

(इंड एएस वित्तीय विवरण)

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के इंड एएस लेखापरीक्षितवित्तीय विवरणों के अनुसार:-

1. इक्विटी शेयर पूंजी दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 165 करोड़ रूपए पर समान रही।

2. कंपनी के कुल ऋण (रक्षित ऋण) 240.85 करोड़ रूपए के पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष बढकर 337.85 करोड़ रूपए हो गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 309.70 करोड़ रूपए के दीर्घकालीन ऋणों (गैर-चालू वित्तीय देयता) और 28.15 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋणों (चालू वित्तीय देयता) (चालू परिपक्वताओं के गारण वर्गीकृत - अगले वित्तीय वर्ष में पुनर्भुगतानयोग्य) को स्वीकार किया है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 25.22 करोड़ रूपए का ब्याज व्यय किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्त /ऋण के रूप में 16.64 करोड़ रूपए का ब्याज व्यय किया गया था।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए 356.07 करोड़ रुपये के टर्नओवर (परिचालन से राजस्व) को स्वीकार किया है, जिसमें सेवा अनुबंध व्यवस्था (एससीए) के तहत निर्माण अनुबंध राजस्व, टोल प्रचालन और अन्य ए राजस्व शामिल हैं, जो इंड एएस-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" की शर्तो के अनुसार है। कंपनी ने संविदागत राजस्व को उचित मूल्य प्राप्य राशियों के रूप में मापा है अर्थात निर्माण सेवओं से राजस्व।

4. अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि सेवा के उचित मूल्य के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्ष लागत 517.99 करोड़ के मूल्य के प्रचालन के लिए उत्तरदायी है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति को 4.88 करोड़ रूपए तक स्वीकार किया गया है।

5. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि में परियोजना और अन्य खर्चों के कारण कार्य अनुबंध पर वित्तीय वर्ष के लिए किए गए खर्च के कारण कंपनी को 2.82 करोड़ रूपए का कर पूर्व घटा और 2.11 करोड़ रूपए का करपश्चत घटा हुआ है।

6. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से और स्वच्छ भारत कोष में योगदान करके, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए 0.13 करोड़ रूपए की राशि खर्च की है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सारबद्ध वित्तीय स्थिति

(रूपए करोड़ में**)**

विवरण	**स्टेंडएलोन**	
	31 **मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**	31 **मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु**
	(लेखापरीक्षित)	
लाभ और हानि की स्थिति		
प्रचालन से राजस्व	356.07	277.54
अन्य आय	0.82	1.27
कुल आय	**356.89**	**278.81**
कुल व्यय	**359.71**	**277.57**
करपूर्व निवल लाभ(घाटा)	(2.82)	1.24
करपश्चात निवल लाभ(घाटा)	(2.11)	0.82
कुल वृहत आय	**(2.11)**	**0.82**
इक्विटी और ऋण स्थिति**:-**		
प्रति शेयर पूंजी	165.00	165.00
अन्य इक्विटी	1.81	3.92
धारक कंपनी से कर्जे (ऋण)	337.85	240.85
प्रति शेयर आमदनी **(**निरंतर प्रचालन हेतु**)**		
(प्रत्येक 10 रूपए का फेस मूल्य)		
(क) मूल (रूपए में)	(0.13)	0.05
(ख) विलयित (रूपए में)	(0.13)	0.05

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) को बोर्ड रिपोर्ट के **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न किया गया है।

निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

निदेशक मंडल:

कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद 49 के अनुसरण में, आपकी कंपनी में निदेशक नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

इस संदर्भ में, धारक कंपनी ने अब तक, इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक मंडल में पांच गैर-कार्यपालक नामिती निदेशकों को नामित किया है। उक्त निदेशकों की नियुक्ति को उनकी सहमति की तिथि से इरकॉन पीबीटीएल के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए प्रभावित किया गया है।

इरकॉन पीबीटीएल के निदेशकों का विवरण निम्नलिखित है: -

क्र.सं	**निदेशक**	**नियुक्ति की तिथि**	**डीआईएन/पीएएन सं.**
1.	श्री दीपक सबलोक, अंशकालीन अध्यक्ष	30.09.2014	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल, अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह, अंशकालीन निदेशक*	21.07.2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव, अंशकालीन निदेशक**	03.03.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन, अंशकालीन निदेशक**	09.06.2017	07797026

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 3 के अनुसरण में, कंपनी में निम्नानुसार तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:-

क्र.सं	कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	केएमपी के पदनाम	नियुक्ति तिथि	केएमपी में पदनामन तिथि	पेन न.
1.	श्री अतुल कुमार	मुख्या कार्यपालक अधिकारी	31.05.2019	27.02.2019	AHQPK0210P
2.	श्री संजय पोदान	मुख्य वित्त अधिकारी*	20.02.2018	20.02.2018	AFNPP1856R
3.	सुश्री सुदोधनी	कंपनी सचिव	17.03.2015	17.03.2015	CLPPS8601B

निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण (डीआरएस)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(ग) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया है और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके।

ग) निदेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए हैं।

ङ) निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं कि सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए और कि इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावपूर्ण रूप से प्रचालनिक थीं।

अंतर निगमित ऋण और निवेश (अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186)

निदेशकों, कॉरपोरेटों तथा अन्य निकायों को ऋण तथा निवेश कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा अनुच्छेद 186 द्वारा शासित होते हैं। इन प्रावधानों में दिए जाने वाले ऋण के प्रतिशत तथा निवेश की शर्तों को निर्धारित किया गया है।

आज की तिथि तक कंपनी ने कोई अंतरनिगमित ऋण या निवेश नहीं किया है और इस प्रकार आज की तिथि को संव्यवहार शून्य है।

प्रमोटरों की शेयरधारिता का पैटर्न

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, इसलिए इसकी सम्पूर्ण इक्विटी शेयरधारिता रेल मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार के उपक्रम यथा इसकी प्रमोटर कंपनी इरकॉन के पास है।

वर्तमान में, कंपनी के पास **175 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी में से 165 करोड़ रुपए** की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी है, जैसा कि पूर्व में कंपनी की पूंजी संरचना में इंगित किया गया है, और 100% इक्विटी इरकॉन और इसके 09 नामिति शेयरधारकों के नाम पर धारित है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: -

इरकॉन पीबीटीएल की मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न

शेयरधारक का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या**	**धारित इक्विटी शेयरों का कुल मूल्य**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिती (प्रति 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर)	16,50,00,000	165,00,00,000	100%
कुल	**16,50,00,000**	**165,00,00,000**	**100%**

वार्षिक रिपोर्ट का सार - एमजीटी-9

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम,2014 के नियम 12(1) के साथ पठित अनुच्छेद 92(3) (अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षा) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का साल **अनुबंध-II** पर उपलब्ध है।

कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष वार्षिक रिटर्न को दायर करने के पश्चात इसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात इसे सदस्यों और स्टेकधारकों द्वारा देखा जा सकता है।

संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी)

[कंपनी (बोर्ड की बैठके और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 188 - संबंधित पक्ष के साथ संविदाएं या व्यवस्थाएं]

कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रबंधन या उनके संबंधितयों के साथ कोई सामग्रीगत महत्वपूर्ण पक्ष संव्यवहार नहीं हैं, जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित गतिरोध हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए पक्ष संबंधी संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर थे और वे व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया के रूप में थे।

तदनुसार, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3) के अनुसार अपने संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहारों के संबंध में प्रकटन फार्म संख्या एओसी-2 में कंपनी द्वारा **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

लाभांश और आरक्षित निधियां

चूंकि कंपनी ने वाणिज्यिक टोलिंग प्रचालन मात्र फरवरी 2019 से आरंभ किया है, इसलिए निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास आरक्षित निधि एवं अतिरेक शेष के रूप में 31 मार्च 2019 तक 1.81 करोड़ रूपए की प्रतिधारित आमदनी थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 3.92 करोड़ रूपए थी।

जमा राशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसरण में अपने सदस्यों से कोई जमा राशियां आमंत्रित नहीं की हैं।

पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण, ऊजा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा आउटगो

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजमार्ग के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई द्वारा निर्धारित अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। रियायतग्राही के रूप में कंपनी द्वारा पूरे किए जाने की शर्त के भाग के रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

विदेशी आमदनी और आउटगो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी विशुद्ध रूप से एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई बीओटी आधारित परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है।

सांविधिक लेखापरीक्षा और सीएजी की टिप्पणियां

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक मैसर्स प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक, फर्म संख्या 00044एन, पंजीकृत कार्यालय - 23, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001 थे। दिनांक 17.05.2019 के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शून्य आपत्तियां थीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है और टिप्पणियां, यदि कोई हो, को इन टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर सहित एजीएम में प्रस्तुत किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर निदेशक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की दोहरी प्रविष्टी प्रणाली के आधार पर लेखों की वास्तविक और न्यायोचित स्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें लाभ और हानियों को संचित आधार पर लेखांकित किया जाता है, जरनल में अंकित हरएक संव्यवहार, ट्रायल शेष का निष्पादन, त्रुटियों का शुद्धिकरण और लेखों के शेष को बही में पोस्ट किया जाता है।

कंपनी के निदेशकों ने गहनता से अपनी रिपोर्ट में सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों तथा टिप्पणियों के साथ वित्तीय विवरणों का गहन मूल्यांकन किया है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के संदर्भ में आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक, एसएस-1 (निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) हैं।

कंपनी आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों का सख्त से अनुपालन कर रही है और नियमित रूप से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है: -

1. बोर्ड और समिति की बैठकों और सामान्य बैठकों के नोटिस जारी करना
2. कार्यसूची भेजना, और निदेशकों को कार्यसूची नोट भेजना
3. कार्यवृत्त का रखरखाव और हस्ताक्षर
4. मसौदा कार्यवृत्त का परिपत्रण
5. उपस्थिति रजिस्टर
6. परिपत्रण द्वारा प्रस्ताव पारित करना और
7. कार्यवृत्त की विषयवस्तु

लागू कानूनों के अनुपालन पर सचिवीय लेखापरीक्षा तथा सचिवीय लेखापरीक्षा अवलोकनों पर निदेशक की टिप्पणियां

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, के नियम 9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-204 के प्रावधानों के अनुसरण में, श्री चैतन्य उदगीरकर, (होल्डिंग एसोसिएट सदस्यता संख्या ए49740 और प्रैक्टिस प्रमाणपत्र (सीओपी) सं.18161), कंपनी के सचिव और मैसर्स लिगासिस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पेशेवर साझेदार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

निर्धारित प्रारूप एमआर-3 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध-IV** पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निदेशक की टिप्पणियां या उत्तर अनुबंध-IVक पर संलग्न हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इसकी उपयुक्तता

वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक लेखांकन नियंत्रण (आईएससी) स्वीकार की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं, परिसंपत्ति प्रावधान तथा व्ययों और आयों की रिकार्डिंग (वित्तीय रिपोर्टों) के अनुसरण में अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों से संबंधित हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 तथा कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, में प्रावधान है कि लेखा परीक्षकों द्वारा व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति से आरंभ करते हुए कंपनी में मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट उल्लेख किया जाएगा।

ऊपर उल्लिखित विषय के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखपरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित इसके सभी सामग्रीगत पहलुओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है, जैसा कि समान रूप से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटक उपयुक्त पाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों पर विचार करने और अनुमोदन करने के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 18 जुलाई 2018 को आयोजित अपनी 27वीं बोर्ड बैठक में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की समीक्षा की है और नोट किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) विद्यमान है।

लागत लेखांकन रिकॉर्ड और लागत लेखा रीक्षा रिपोर्ट

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया की विधिवत आरंभ कर दी है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स रवी साहनी एंड कंपनी को लागत लेखापरीक्षा फर्म के रूप में नियुक्त किया है। लागत लेखांकन फर्म द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है।

यह कंपनी अधिनियम (लागत रिकार्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा- 148 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अध्याय 3 के पैरा 3.6 के अनुपालन में, 'जोखिम के तत्वों,

यदि कोई हो, की पहचान सहित कंपनी के लिए जोखि प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाने वाले एक विवरण को बोर्ड की रिपोर्टके भाग के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, चूंकि कंपनी एक **रियायतग्राही कंपनी** है, जो बीकानेर-फलोदी परियोजना के निष्पादन के लिए बनाई गई है, इस परियोजना से संबंधित जोखिम तत्वों की पहचान निम्नानुसार की गई है: -

परियोजना से संबंधित जोखित तत्व

क्र.सं	**जोखिम तत्व**	**विवरण**
1	**निर्माण अवधि**	प्रचालनों की अनुसूचित वाणिज्यिक तिथि (सीओडी) में विलंब सहित नियंत्रित किए जाने वाले प्रमुख कारक निमाण अवधि में विलंब है। इसके अतिरिक्त, दायित्व मुक्त कार्यस्थल की अनुपलब्धता के कारण, निर्माण कार्य में विलंब होने की संभावना है।
2	**ऋण सेवा अनुपात**	कंपनी को त्रुटि के जोखिम को कम करने के लिए समय पर ऋण के पुनर्भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।
3	**यातयात संबंधित राजस्व जोखिम**	वाणिज्यिक यातायात से राजस्व संभाव्यता अधिक है किन्तु यह आर्थिक चक्रों में उच्चावचन के मद्देनजर है।

इसके अनुसरण में, कंपनी ने दिनांक 03 जनवरी 2017 को आयोजित अपनी 19वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित उल्लेखनीय बिंदुओं सहित कंपनी के लिए **"जोखिम प्रबंधन नीति"** तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की है: -

(i) इरकॉन की नीति के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी।

(ii) कंपनी विशिष्ट कारकों को अधिक महत्व दिया जाएगा।

(iii) अन्य एनएचएआई बीओटी परियोजनाओं के जोखिम कारकों की समीक्षा की जाएगी।

कर्मचारी पारिश्रमिक पर प्रकटन

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-197 के अनुसरण में, कंपनी के किसी भी कार्मिक को प्रति वर्ष 60 लाख रूपए या प्रति माह 5,00,000/- रूपए से अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था।

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स अरूण गुप्ता एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र **अनुबंध-Vक** के रूप में संलग्न है।

एमएसएमई प्रक्रिया का अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2018-19)
आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एमएसइ के लिए जन प्रापण नीति के अनुपालन के मामले में 35,000/- रूपए के वार्षिक खरीद लक्ष्य की तुलना में एमएसएमई विक्रेताओं से 33,000/- रूपए की खरीद की है जो एमएसई से होने वाले वार्षिक खरीद लक्ष्य के 20% खरीद मानदंडों को पूरा करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनच्छेद 138 के अनुसार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 50 करोड़ रूपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों को एक आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना अपेक्षित है।
तदनुसार, मैसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, जिसका कार्यालय 18/19, ओल्ड राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 है, को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी के बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक (आईसीबी), जिसका शाखा कार्यालय: प्रथम तल, बालिका भवन, ब्लॉक बी, सेक्टर 13, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में है, कंपनी के नाम पर चालू खाता, एस्क्रो खाता

खोलने और साविधि जमा (एफडी) के अनुरक्षण की सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से कंपनी के लिए एकमात्र बैंकिंग साक्षेदार के रूप में कार्य कर रहा है।

सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां

आज की तिथि को कंपनी की कोई सहायक, संबद्ध या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, निषेध एवं निदान)अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन महिला कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन पर लाग होता है। यदि एक संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो, उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 4 की शर्तों के अंतर्गत **"आंतरिक शिकायत समिति"** का गठन अपेक्षित है।

इसके संदर्भ में, इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में कार्यस्थल में महिलाओं के **यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)** के गठन पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसकी कार्यव्यवस्था के लिए विशिष्ट संदर्भ शर्तों और कार्यविधियों व प्रक्रियाओंके अनुरूप इस समिति का गठन किया जाए।

शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

(i) प्रमुख नीतियां और विनियमन:-

कंपनी अपने अधिकारियों को शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में कार्मिकों को प्राधिकृत करने की दृष्टि से धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही नीतियों की तर्ज पर नीतियों का अनुसरण करती है।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी- इरकॉन के पास है, केवल अतिरिकत, वैकल्पिक या नैमेतिक निदेशकों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संगम

अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 के अनुसार अध्यक्ष कंपनी के किसी महत्वपूर्ण विषयों पर धारक कंपनी - इरकॉन का निर्णय मान्य होगा, जिसे अध्यक्ष महसूस करे कि धारक कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ii) लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय परिणाम

कंपनीके लेखापरीक्षित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, सारांशित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखा टिप्पणियां और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है, जिसे दिनांक 2 मई 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

(iii) सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की सही और वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है और सभी सामग्रीगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। उक्त प्रमाणपत्र **अनुबंध-VII** के रूप में संलग्न है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
दीपक सबलोक
अध्यक्ष
डीआईएन: 03056457

दिनांक : 01.08.2019
स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-I

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर)

(i) औद्योगिक संरचना और विकास

सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में निर्माण उद्योग और अधिक विकास और पूंजी अंशदान की ओर बढा है जिसके कारण एनएचएआई द्वारा प्रदान किए अनुसार बीओटी आधार पर ऐसी परियोजनाओं को विकसित और प्रचालित किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ऐसी परियोजनाएं प्रदान कर रहा है जिससे निवेशक तथा ठेकेदार, अन्य उद्योगों, जहां सेवा प्रदाताओं के रूप में विकल्पों की उपलब्धता के साथ मांग और आपूर्ति कारक विद्यमान हैं, की तुलना में क्षेत्र के यातायात के आकलन के आधार पर घाटे या अनिश्चितताओं के कम जोखिम के साथ निरंतर आय अर्जित कर सकते हैं। यहां, जब ऐसी परियोजनाएं प्रदान की जाती हैं, वहां परियोजना के निष्पादन के लिए विश्वसनियता और वित्तीय स्थिति के अनुसार पक्षों को स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व इनका सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि ऐसी परियोजनाओं से अनुमानित आमदनियां बाजार के उतार-चढाव से कम प्रभावित होंगी।

इस प्रकार, एनएचपीडी-चरण IV के अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएचएआई ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और विस्तार की चुनौती ली है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (एनएच-15) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का कार्य करने के लिए एनएचएआई द्वारा निविदा फ्लोट की गई थी जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन - 100% धारक कंपनी) ने भाग लिया और निष्पादन के लिए यह निविदा प्राप्त की तथा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड नामक एसपीवी का निर्माण किया। औद्योगिक रूझानों पर आधारित इस परियोजना में विकास की संभावनाएं हैं और अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रास्फीति दरों के सापेक्ष में राजमार्ग ग्राहकों से भारी एकत्रण की संवर्धित संभावनाएं हैं।

(ii) शक्तियां और कमजोरियां

➢ **शक्तियां**

अवसंरचना के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के कारण, सड़क तथा राजमार्ग नेटवर्क के और अधिक विस्तारित होने की संभावना है जिसमें अधिक से अधिक निवेश होगा। सड़क यातायात में अच्छे विकास से भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक गलियारों के कारण बेहतर संड़क संपर्कता और यातायात के सुगम प्रवाह की मांग बढ़ेगी। अगले दो वर्षों में अधिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ राजमार्गों पर यातायात की विकास दर में वृद्धि होने की संभावना है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि के साथ वर्ष 2020 तक सड़क यातायात की मांग में और वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में और अधिक निवेश तथा अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा।

➢ **कमजोरियां**

(i) प्रकृति में परिवर्तन का नुकसार है।.

(ii) राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में समय पर आउटपुट प्रदान करने के संबंध में कुशलता की समस्याएं होती हैं।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के कारण असंभावित लागत वृद्धि।

(iii) अवसर तथा जोखिम

➢ **अवसर**

(i) सड़कों और राजमार्गों पर निरंतर बढ़ते वाहनों के कारण प्रचालनों में स्थिरता और विकास हुआ है तथा संबंधित लाभप्रदत्ता बढी है।

(ii) राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अनुमानित लाभ-लागत विश्लेषण मॉडल के विकास से अन्य सेवाओं की तुलना में दीर्घकालीन अवधि में संभावित राजस्व (टोल आय) में वृद्धि में सहायता मिलेगी।

- **जोखिम**

  (i) राजमार्ग परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब से न केवल परियोजना लागत में वृद्धि होगी बल्कि सीमित रियायत अवधि और ब्याज भुगतानों के संवर्धित बोझ के कारण राजस्व भी प्रभावित होंगे।

  (ii) बीओटी परियोजनाओं में, इनपुटों को अनुमानित स्तरों पर अनुरक्षित रखा जाना होता है और उतारचढाव की कम संभावना के साथ यातयात के पूर्वानुमानों को प्राप्त किया जाना होता है।

  (iii) भूमि दायित्व मुद्दे के कारण प्राधिकरण- एनएचएआई से रियायतग्राही कंपनी को भूमि सौंपनेमें विलंब हुआ।

(iv) आउटलुक (परिदृश्य)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अपनी अग्रणी परियोजना "राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" के अंतर्गत और अधिक राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करके तथा निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करके और विकास के लिए सृजनात्मक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा निर्माण उद्योग को और बल प्रदान करेगा।

(v) जोखिम और चिंता

- कार्यनिष्पादन प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए मौजूदा जोखिम आकलन मॉडल विकसित देशों में अनुसरण की जा रही पद्धतियों के अनुरूप नहीं हैं।

(vi) **प्रचालनिक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा**

कंपनी ने अब प्रचालन और रखरखाव चरण अर्थात वाणिज्यिक टोल प्रचालन में प्रवेश कर लिय है और फरवरी 2019 -अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (अनंतिम सीओडी) से टोल राजस्व अर्जित करना शुरू कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100% सीओडी प्राप्त करने की आशा है। इसके अतिरिक्त फरवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक टोल प्रचालन से 4.74 करोड़ रूपए कका राजस्व सृजित हुआ है।

अनुबंध – II

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेत

[कंपनी अधिनियम**,** 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम**,** 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में**]**

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	**सीआईएन**	यू45400डीएल2014जीओआई272220
2.	**पंजीकरण तिथि**	30.09.2014
3.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी**	शेयरों द्वारा कंपनी लिमिटेड/केन्द्रीय सरकार की कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा**	पता: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
6.	**कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध**	गैर-सूचीबद्ध कंपनी
7.	**रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा**	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद व सेवा का नाम**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	राजस्थान राज्य में बीकानेर-फलौदी खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-15) पर राजमार्ग परियोजना के निर्माण के रूप में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100%

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	**कंपनी का नाम व पता**	**सीआईएन/जीएलएन**	**धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों**	**धारित शेयरों का प्रतिशत**	**लागू अनुच्छेद**
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई00817	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

*** 100%: 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 09 नामितियों के पास हैं ।**

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2016 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2016 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	**शून्य**	165000000	165000000	100 %	**शून्य**	165000000	165000000	100%	100%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	165000000	165000000	100 %	**शून्य**	165000000	165000000	100%	100%
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100 %**	**शून्य**	**165000000**	**165000000**	**100%**	**100%**

(क+ख+ग)								

 # निकाय निगम: पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए और सामान्य बैठकों के लिए न्यूनतम 05 सदस्यों की उपस्थिति की गणपूर्ति हेतु 07 सदस्यों की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% शेयरधारिता निगमित निकाय - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 09 नामितियों के पास है। नामिति शेयरधारकों के पास शेयर केवल कंपनी अधिनियम 2013 तथा इससे संबंधित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए हैं।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता**:**

क्र.सं	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**			**वर्ष के अंत में शेयरधारिता**			**वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋण युक्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %**	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड**$**	165000000	100%	-	165000000	100%	शून्य	83.33%
	कुल	165000000	100%	-	165000000	100%	शून्य	83.33%

$ प्रमोटरों की शेयरधारिता: कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयरों के साथ कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निगमन के लिए और सामान्य बैठकों के लिए न्यूनतम 05 सदस्यों की उपस्थिति की गणपूर्ति हेतु अनिर्वा अपेक्षा के अनुसार अन्य 09 सदस्यों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के नामिति हैं।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.सं	**विवरण**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता***		**वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता ***	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1.	वर्ष के आरंभ में	165000000	100%	165000000	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	165000000	100%	165000000	100%

* वर्ष**: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	**प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता***		**वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता ***	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं।**			
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र.सं	**निदेशक(निदेशकों) का नाम #**	**प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता***		**वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता ***	
			शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1.	**श्री दीपक सबलोक**	वर्ष के आरंभ में	100	0.00006	100	0.00006
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
		वर्ष के अंत में	100	0.00006	100	0.00006
1.	**श्री अशोक कुमार गोयल**	वर्ष के आरंभ में	100	0.00006	100	0.00006
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			

		वर्ष के अंत में	100	0.00006	100	0.00006
3	**श्री राजेन्द्र सिंह यादव**	वर्ष के आरंभ में	100	0.00006	100	0.00006
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
		वर्ष के अंत में	100	0.00006	100	0.00006
4	**सुश्री अनुपमा बेन**	वर्ष के आरंभ में	100	0.00006	100	0.00006
		वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	शून्य			
		वर्ष के अंत में	100	0.00006	100	0.00006

कंपनी के निदेशक इरकॉन के नामितियों के रूप में शेयर धारण किए हुए हैं (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कृति और की ओर से); पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमन के समय अपेक्षित सात सदस्यों की न्यूनतम संख्या की सांविधिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए 100% धारक कंपनी द्वारा नामित (इरकॉन और इसके 6 नामिती)।

प्रत्येक निदेशक के पास समान संख्या में इक्विटी शेयर हैं।

* वर्ष**: 1 अप्रैल को आरंभ होने वाले तथा 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष को दर्शाता है।**

V) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	**जमा राशियों सहित रक्षित ऋण**	**अरक्षित ऋण**	**जमा राशियां**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	240.85			240.85
i) मूल राशि				
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज				
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज				
कुल (i+ii+iii)	240.85			240.85
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				

* संवर्धन	97.00	-	-	97.00
* आवर्धन				
निवल परिवर्तन	97.00	-	-	97.00
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	337.85	-	-	337.85
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	337.85	-	-	337.85

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**परिश्रमिक का विवरण @**	**एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम**				**कुल राशि**
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3.	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमिशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	कुल (क) $	**शून्य**				
	अधिनियम के अनुसार सीमा	**लागू नहीं**				

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण @**	**निदेशकों का नाम**				**कुल राशि**
		-----	**----**	**----**	**---**	
1	स्वतंत्र निदेशक					

	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (1)	**लागू नहीं**				
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक					
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क					
	कमिशन					
	अन्य, कृपया बताएं					
	कुल (2)					
	कुल (ख)=(1+2) $	**लागू नहीं**				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य				
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	**लागू नहीं**				

$ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक: वित्ती वर्ष2018-19 के समापन पर कंपनी में पांचगैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड मं हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**			
		सीईओ#	**सीएस**	**सीएफओ**	**कुल**
1	सकल वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	31,08,916	4,82,419	24,89,232	60,80,567
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	26551	-		2655
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-
4	कमिशन				
	- लाभ के % के रूप मेंt	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-

5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-
	कुल	**31,11,571**	**4,82,419**	**24,89,232**	**60,83,222**

VII. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा**	**प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)**
क. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य***				
दंड					
कंपाउंडिंग					

- कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कंपनी पर या उसके निदेशकों या अन्य अधिकारियों पर कोई दंड नहीं लगाया गया है और अपराधों की पुनरावृत्ति के लिए कंपनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा शून्य आवंदनों सहित किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है।

अनुबंध – II

फार्म सं. एओसी-2

अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम,2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु)

****

I) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी संविदा या व्यवस्थाओंया संव्यवहारों में प्रवेश नहीं किया गय है जो आर्म लैंथ आधार पर न हों।

II) आर्म लैंथ आधार पर न की गई संविदाएं या व्यवस्थाएं या संव्यवहार :

क्र.सं.	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1.	**ईपीसी करार** (परियोजना सुविधाओं के विकास सहित प्रदान किए गए कार्य के कार्यक्षेत्र के अनुसार चार या दो लेन	ईपीसी करार के निष्पादन की तिथि: 19 जनवरी, 2015	परियोजना राजमार्ग के विकास के निष्पादन के लिए 646 करोड़ रूपए के मूल्य हेतु संविदा को निष्पादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान	5 जनवरी, 2015 तथा 29 अप्रैल, 2015	शून्य (आज की तिथि को)

	परियोजना राजमार्ग के निर्माण कार्य के लिए परियोजना के निष्पादन हेतु ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रूप में नियुक्त किया गया है।	अनुमानित अवधि: 30 माह (ईपीसी कांट्रैक्टर द्वारा निर्माण की अवधि) **सतत संव्यवहार**	इसके लिए इरकॉन को प्रदत्त कार्य व्यय 53.44 करोड़ रूपए है।		
2.	**ईपीसी करार में संशोधन (मूल ईपीसी करार के भाग का सृजन)** ईपीसी करार का शुद्धिपत्र सं.1, शुद्धिपत्र सं.2 तथा शुद्धिपत्र सं.3 शुद्धिपत्र सं.4	लागू नहीं	ईपीसी करार में शुद्धियां 646 करोड़ रुपए के मल्यं की परियोजना की मूल कुल लागत के लिए संशोधित भूगतान अनुसूची के प्रतिधारण हेतु निष्पादित	शुद्धिपत्र सं.1: 12 मार्च 2015 शुद्धिपत्र सं. 2: 23 मार्च 2016 शुद्धिपत्र सं.3: 22 जुलाई 2016 शुद्धिपत्र सं.4: 13 जून 2017	शून्य (आज की तिथि तक)
3.	**ईपीसी करार का अनुपूरक करार**	*लागू नहीं*	ईपीसी संविदागत भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ईपीसी संविदा लागत को 646 करोड़ रूपए से संशोधित करके 767.48 करोड़ रूपए किया गया है।	25 मार्च 2019	शून्य (आज की तिथि तक)
4.	**पट्टा करार** (कार्यालय परिसरों के प्रयोग के लिए किराया)	दो वर्ष (2018 से 2020)	इरकॉन पीबीटीएल ने प्रति माह 19,305 रूपए जमा लागू जीएसटी की दर से दिनांक 01.04.2018 से 3 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 22.06.2018 को इरकॉन के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर किया है।	-	शून्य (आज की तिथि तक)

अनुबंध-III

CHAITANYA UDGIRKAR
PRACTISING COMPANY SECRETARY

B-3, 302, GANGA CONSTELLA,
NEAR EON IT
PARK, KHARADI,
PUNE – 411014
MOB: 7276315835
EMAIL: chaitanya.u@legasis.co.in

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबीटीएल इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें निगमित आचरण /सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अश्विय्क्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अश्लिखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित

बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनिय, 1996 और इसके अंतर्गत निर्मित विनियमों और उपनियमों;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: - **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (15 मई, 2015 से प्रभावी);

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009 और समय-समय पर संशोधन;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम 1993 जो कंपनी अधिनियम और कंपनी के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; तथा

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

मैंने कंपनी द्वारा लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्रों हेतु कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया है। कंपनी पर लागू अधिनियमों, नियमों, कानूनों और विनियमों के प्रमुख शीर्षों या समूहों की सूची **अनुबंध- ख** पर संलग्न है।

मैंने प्रत्यक्ष वित्तीय और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और उनके विनियामक अनुपालन जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्यधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के मद्देजनर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

i. कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है । हालांकि, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन, सभी सीपीएसई के लिए

अनिवार्य है और इस संदर्भ में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया है।

उपरोक्त टिप्पणियों के अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:

कंपनी ने कार्यक्षेत्र में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अभी तक आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया है।

मैं आगे यह भी सूचित करना हूं कि:

i. बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है, बैठक की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

ii. बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि बोर्ड के निदेशक मंडल या समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

मैं आगे सूचित करता हूं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

ह/-

सीएस चैतन्य उदगीरकर,
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस: 49740
सीपी सं.: 18161

दिनांक: 29 जुलाई , 2018
स्थान : पूणे, महाराष्ट्र

इस रिपोर्ट को मेरे समसंख्यक पत्र के साथ पढा जाए, जो अनुबंधों के रूप में संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं।

<u>अनुबंध -क</u>

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

ह/-
सीएस चैतन्य उदगीरकर,
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस: 49740
सीपी सं.: 18161

दिनांक: 29 जुलाई , 2018
स्थान : पूणे, महाराष्ट्र

अनुबंध-ख

1. सार्वजनिक उपक्रम विभाग, गृह मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।
2. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
3. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
5. दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
6. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
7. पानी (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
8. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
9. वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
10. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
11. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
12. अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971
13. कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
15. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
16. लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और उसके नियम बनाए गए।
17. पेटेंट अधिनियम, 1970
18. ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999
19. अभिकल्प अधिनियम, 2000
20. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
21. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

अनुबंध-IVक

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर निदिशक की टिप्पणियां या प्रबंधन के उत्तर

(वित्तीय वर्ष 2018-19)

सचिवीय लेखापरीक्षक के अवलोकन	प्रबंधन के उत्तर
i. कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने और लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है । हालांकि, डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के तहत, लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन, सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है और इस संदर्भ में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया है।	कंपनी के संगम अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन पीबीटीएल में निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति, धारक कंपनी होल्डिंग कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन केवल कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशकों से किया गया है।

अन्य बिंदु	**प्रबंधन का उत्तर**
ii. कंपनी ने कार्यक्षेत्र में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अभी तक आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया है।	आंतरिक शिकायत समिति के गठन पर पूर्व में इरकॉनपीबीटीएल के बोर्ड द्वारा चर्चा की गई है और घारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के परामर्श से इसके प्रचालन के लिए पश्चात संदर्भ शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के
निदेशक मंडल हेतु तथा की ओर से

ह/-
सुदोधनी
कंपनी सचिव
एसीएस सं: 36883

दिनांक : **29** जुलाई, **2019**
स्थान : **नई दिल्ली**

अनुबंध – V

निगमित शासन रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन और शासन

इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जिसने अपने गठन से ही अपने निर्णय-निर्धारण और कार्यों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही,उपयुक्त प्रकटन और अनुपालन, पारदर्शिता का अनुपालन करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। विविध सांविधिक प्राधिकरणों को समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और निगमित प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए प्रक्रियाएं और प्रणालियां अपनाई गई हैं और उन्हें निर्धारित किया गया है। कंपनी द्वारा धारक कंपनी, इरकॉन की तर्ज पर निगमित कार्य और शासन तंत्रों के प्रबंधन के लिए कार्मिकों के मध्य क्रियात्मक आधारित भूमिकाएं सौंपी हैं।

कंपनी के शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखकर सुशासन का अनुसरण किया जा रहा है।

निदेशक मंडल

(क) निदेशक मंडल की संरचना:-

कंपनी के संगम अनुच्छेदों (एओए) के अनुच्छेद-49 के अनुसार, निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास है। तदनुसार, धारक कंपनी ने, इरकॉन पीबीटीएल के बोर्ड में पांच गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक निदेशक) को नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया है, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	निदेशक	पूर्णकालीन/अंशकालीन/ स्वतंत्र	नियुक्ति की तिथि	डीआईएन
1.	श्री दीपक सबलोक	अंशकालीन अध्यक्ष	30.09.2014	03056457
2.	श्री अशोक कुमार गोयल	अंशकालीन निदेशक	30.09.2014	05308809
3.	श्री आनन्द कुमार सिंह	अंशकालीन निदेशक	21.07.2016	07018776
4.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	अंशकालीन निदेशक	03.03.2017	07752915
5.	सुश्री अनुपम बेन	अंशकालीन निदेशक	09.06.2017	07797026

(ख) निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान छह बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया है। चूंकि दो निरंतर बैठकों के बीच 90 दिन के समय अंतराल की अनुमति दी गई है, इसलिए वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या तदनुसार है।

उचित नोटिस जारी किए गए थे और समय पर कार्यसूची अभिलेख परिपत्रित किए गए। विशिष्ट मुद्दों के समाधन के लिए प्रस्तुत किए गए निर्धारित प्रस्तावों के साथ निदेशकों और शेयरधारकों द्वारा विचार किए जाने हेतु बोर्ड तथा शेयरधारक बैठकों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए थे।

बोर्ड तथा बोर्ड समितियोंकी बैठकों की संख्या और इन बैठकों में निदेशकों और समिति सदस्यों की उपस्थिति

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2018-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की अनुसूची

(कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में)

क्र.सं	बोर्ड बैठक की सं.	बोर्ड बैठकों की तिथि	पिछले बैठकों के संबंध में समय अंतराल (दिनों की संख्या)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	26वीं	11 मई, 201817	-	5	शून्य
2.	27वीं	18 जुलाई, 2018	37	5	शून्य
3.	28वीं	19 सितंबर, 2018	62	3	2
4.	29वीं	20 नवंबर, 2018	61	5	शून्य
5.	30वीं	18,फरवरी 2018	89	4	1

5.	30वीं	25, मार्च 2019	34	5	शून्य

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित विभिन्न समितियों की बैठकों की संख्या और उपस्थिति रिकार्ड :

क्र.सं	**बोर्ड समिति**	**बैठकों की संख्या**	**समिति बैठक की तिथि**	**उपस्थित सदस्यों की संख्या**
1.	लेखापरीक्षा समिति	8	11 मई, 201817	3
		9	18 जुलाई, 2018	3
		10	09 नवंबर, 2018	2
		11	18,फरवरी 2018	2
		12	22 मार्च 2019	2
2.	सीएसआर और धारणीयता समिति	3	18 फरवरी, 2019	2

(iii) **निदेशकों की उपस्थिति और बोर्डों और समितियों में उनके निदेशक पद या सदस्यता का ब्यौरा बैठकों में निदेशक मंडल को प्रतिनिधित्व:वित्तीय वर्ष 2018-19**

नाम व पदनाम	**बोर्ड की बैठक की संख्या**	**बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या**	**बोर्ड समितियों की बैठकों की संख्या (निदेशक कार्यकाल अवधि)**			**समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या**		
			लेखा परीक्षा	**नामांकन एंव परिश्रमिक**	**सीएसआर व धारणीयता समिति**	**लेखा परीक्षा**	**नामांकन एंव परिश्रमिक**	**सीएसआर व धारणीयता समिति**
श्री दीपक सबलोक, अध्यक्ष	6	6	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न	ला.न
श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक	6	5	5	शून्य	ला.न	5	ला.न	ला.न
श्री आनन्द कुमार सिंह	6	6	5	शून्य	1	5	ला.न	1

निदेशक								
श्री आर.एस.यादव निदेशक	6	4	5	शून्य	1	2	ला.न	शून्य
सुश्री अनुपम बेन, निदेशक	6	6	ला.न	ला.न	1	ला.न	ला.न	1

कंपनी के निदेशकों ने नियमित रूप से बोर्ड की बैठकों में भाग लिया है जिसमें संगठनात्मक कार्यों के लिए सकारात्मक और मूल्यवाल विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

साधारण बैठकें

वर्ष 2018-19 के दौरान शेयरधाराकों की केवल एक वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन दिनांक 27.09.2018 को किया गया और आज की तिथि तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान केवल एक ईजीएम का आयोजना किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

साधारण बैठकें

क्र. सं	**शेयरधारक बैठकों का प्रकार**	**बैठक की तिथि**	**संव्यवहार हेतु**	
			सामान्य कार्य	**विशेष कार्य**
1	प्रथम असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)	3 फरवरी, 2015	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 180(1)(ग) के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों से ऊपर कंपनी की ऋण लेने की शक्तियां
2	चौथी वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)	27 सितंबर, 2018	हां	लागू नहीं

एनए से तात्पर्य: लागू नहीं

<u>बोर्ड की समितियों का गठन</u>

I. लेखापरीखा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति

दिनांक 31 मार्च 2015 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 5 करोड़ रूपए थी जो धारक कंपनी, इरकॉन को जारी 85 करोड़ रूपए के राइट इश्यु के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में बढकर 90 करोड़ रूपए हो गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदत्त शेयर पूंजी के 10 करोड़ रूपए के थ्रेशहोल्ड सीमा को पार करने के कारण कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सांविधिक समितियों के गठन की आवश्यकता को क्रमश: दिनांक 29 अप्रैल 2015 तथा 26 अगस्त 2015 को आयोजित बोर्ड की सातवीं और नवीं बैठक में अधिसूचित किया गगया था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 और अनुच्छेद 178 के अनुसरण में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमित समिति का गठन किया गया था और यह लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 की शर्तों के अनुपालन में है।

लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमित समिति के गठन हेतु अनुमोदन इरकॉन पीबीटीएल की 18वीं बोर्ड बैठक में प्रदान किया गया था।

क. <u>लेखापरीक्षा समिति (एसी)</u>

संरचना: -

(i) श्री ए.के. सिंह, कार्यपालक निदेशक/वित्त, इरकॉन - अध्यक्ष के रूप में नामित निदेशक

(ii) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

(iii) श्री आर.एस. यादव, परियोजना निदेशक/जम्मू एवं कश्मीर, इरकॉन - सदस्य के रूप में नामित निदेशक

संदर्भ की शर्तें:-

लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित भूमिका और उत्तरदायित्व होंगे:

(i) कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश;

(ii) तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उसपर बोर्ड की स्वीकृति पूर्व लेखापरीक्षकोंकी रिपोर्टकी समीक्षा और जांच;

(iii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा;

(iv) सांविधिक लेखापरीक्षाओं द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओंकके लिए उन्हें भुगतान की स्वीकृति;

(v) संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन को अनुमोदन या तत्पश्चात संशोधन;

(vi) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(vii) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(viii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन; और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा;

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा;

(x) सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से एकत्र धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) संरचना: -

(i) श्री ए.के. गोयल, कार्यपालक निदेशक/परियोजनाएं, इरकॉन नामित निदेशक - अध्यक्ष के रूप में

(iii) श्री ए.के. सिंह, कार्यपालक निदेशक/ वित्त, इरकॉन नामित निदेशक - सदस्य के रूप में

(iii) श्री आर.एस. यादव, परियोजना निदेशक/जम्मू और कश्मीर, इरकॉन नामित निदेशक - सदस्य के रूप में

संदर्भ की शर्तें:-

नामांकन और पारिश्रमिक समिति-

- डीपीई और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक पद से एक स्तर नीचे) और अन्य कार्मिकों के चयन की नीतियों की समीक्षा;

- निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के सबंध में बोर्ड को एक नीति की सिफारिश करना।
- समय समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

II. सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति एवं सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसरण में पिछले वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रूपए के शुद्ध लाभ या 500 करोड़ रूपए की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रूपए के टर्नओवर पर सीएसआर समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, कंपनीअअधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत उपलब्ध कराना होता है।

कंपनी को निगमन पूर्व व्ययों की प्रतिपूर्ति और प्रशासनिक व्ययों के कारण 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 1,47,69,915 रूपए (कर पूर्व शुद्ध हानि) का घाटा हुआ था। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी को लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 5,60,73,518/- रूपए का निवल कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ है। इसके कारण, निवल कर पूर्व लाभ की 5 करोड़ रूपए की निर्धारित सीमा को पार करने कारण सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य हो गया है।

तदनुसार, सीएसआर समिति का गठन 5 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ (कर पूर्व) की 'थ्रेशहोल्ड सीमा' के संबंध में बैठक करने के लिए आवश्यक था और इसका गठन विधिवत रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

इस प्रकार कंपनी की 10 बोर्ड बैठक में **सीएसआर और धारणीयता समिति** के बठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा प्रथम सीएसआर और धारणीयता समिति बैठक दिनांक 8 फरवरी 2017 को आयोजित की गई थी।

सीएसआर प्रावधान

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु: कंपनी ने सीएसआर व्यय के लिए 4.13 लाख रूपए का प्रावधान किया है। कंपनी निर्माण के दौर से गुजर रही है और उसने अभी तक अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए कंपनी ने सीएसआर की ओर कोई राशि खर्च नहीं की थी और अगले वित्तीय वर्ष के लिए राशि को अग्रेणीत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु: कंपनी ने सीएसआर खर्च के लिए 3.36 लाख रूपए का प्रावधान किया है। कंपनी का विचार है कि निर्माणाधीन स्तर पर होने के कारण, और समर्पित सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए जल्द से जल्द धनराशि की आवश्यकता के कारण, सीएसआर व्यय 3.36 लाख को अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेणीत किया जाए।

संचयी सीएसआर व्यय: 4.13 लाख रूपए और 3.36 लाख रूपए; 7.49 लाख रूप के संचयी मूल्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेणीत किया गया है।।

सीएसआर और धारणीयता व्यय (वित्तीय वर्ष 2018-19)

सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) व्यय का प्रावधान पिछले वित्तीय वर्षों 2016-17 और 2017-18 के लिए बनाया गया था, जिसका कुल मूल्य 7,49,573/- रूपए है और उक्त संचयी शेष को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेणीत किया गया है और ऐसा इस तथ्य पर विचार करते हुए किया गया है कि कंपनी ने अभी तक अपने वाणिज्यिक कार्यों की शुरुआत नहीं की है।

सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति की सिफारिशों के आधार पर, कंपनी के निदेशक मंडल ने सीएसआर और धारणीयता व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 12,76,712/- रूपए की राशि को अनुमोदन प्रदान किया है।

कंपनी ने तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की 12,76,712/- की पूरी राशि खर्च की है जिसका नीचे विस्तृत विवरण प्रस्तुत है: -

- सरकारी स्कूल, बीकानेर में सीएसआर के प्रति: रूपए 11,84,045

- स्वच्छ भारत कोष में योगदान : रूपए 92,667

कुल सीएसआर राशि व्यय = रू. 2,76,712/-

12,76,712/- रूपए की उपर्युक्त राशि में पिछले वर्ष का संचयी शेष यथा 7,49,573/- रूपए शामिल है और यह राशि बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना के विकास और स्वच्छ भारत कोष में योगदान के लिए खर्च की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में अनुबंध-VI के रूप में संलग्न है।

प्रकटन और सांविधिक अनुपालन :-

बोर्ड द्वारा व्यवसायिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नामित अधिकारियों के विशिष्ट प्रत्यायोजन और प्राधिकरण की सुस्पष्ट नीति का अनुसरण करते निदेशक के हित, संबंधित पक्ष संव्यवहारों, सांविधिक रजिस्टरों के अनुरक्षण सं संबंधित पर्याप्त प्रकटनों को प्रस्तुत किया गया है और आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया है ताकि सुज्ञात निर्णय लिए जा सकें। प्रकटनों, सूचनाओं, आवंटनों और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए सूचनाएं समयबद्ध आधार पर की जाती हैं और कोई मामला लंबित नहीं है।

निगमित शासन दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन के लिए प्रमाणपत्र

डीपीई दिशानिर्देश, 2010, कंपनी (अध्याय 8: रिपोर्ट, अनुपालन और अनुसूची क्रियान्वयन - खंड 8.2: अनुपालन) द्वारा अनुसरित निगमित शासन दिशानिर्देशों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाने के लिए एक प्रमाणपत्र निर्धारित करता है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उक्त प्रमाणपत्र पेशेवर कंपनी सचिव (पीसीएस), अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है जिनका कार्यालय 1005, रूट्स टावर, प्लाट सं.7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में है और इसे यहां **अनुबंध-V-क** के रूप में संलग्न किया गया है।

<u>अनुबंध – V(क)</u>

अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

<u>सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), 2010 के निगमित शासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्पोरेट शासन की शर्तों सहित अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र</u>

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटिड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 2(45) (कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(18) तथा 617) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

हमने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत उक्त कंपनी के कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षण किए गए संगत रिकार्डों एवं दस्तावेजों की भी जांच की है और इस संबंध में हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हम स्पष्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध निवेशक संबंधी कोई शिकायत नहीं है, जैसाकि कंपनी द्वारा तैयार किए गए रिकार्डों से पता चलता है।

इसके अतिरिक्त, हम स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन के संबंध में दक्षता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का सभी दृष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, केवल:

डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों गैर-नियुक्ति और बिना स्वतंत्र निदेशकों के लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन। तथापिककंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत इससे छूट प्राप्त है और यह ज्ञात है कि निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी यथा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेडद्वारा की जा रही है (कंपननी के संगम अनुच्छेदों के अनुसरण में)।

आगे यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त विचार कंपनी द्वारा अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों तथा पत्राचार फाइलों और सचिवीय व अन्य सांविधिक रिकार्डों सहित कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर है।

कृते अरूण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
(अरूण कुमार गुप्ता)
एफसीएस- 5551
सीपी सं.- 5086

स्थान: नई दिल्ली

दनांक: 29 जुलाई 2019

अनुबंध-VI

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

(क) सीएसआर नीति पर प्रकटन
(कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 की शर्तोंके अनुसार)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में सीएसआर गतिविधियां/कार्यक्रम शुरू करने के लिए सीएसआर और स्थिरता नीति तैयार की है। नीति की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है: -

(i) सीएसआर परियोजनाओं का नियोजन/चयन

- सीएसआर लक्ष्यों के साथ कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रणनीतिक रूप से संरेखित करके संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

- गतिविधियों के चयन में मुख्य ध्यान केवल उत्पादन या परिणामों के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर होता है। परियोजनाओं का चयन करते समय, प्राथमिकता कंपनी के प्रचालन और परियोजना क्षेत्रों की परिधि में स्थित गतिविधियों से सीधे प्रभावित हितधारकों को दी जाती है।

(ii) सीएसआर बजट और व्यय

- सीएसडी बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ निर्धारित किया जाना है। सीएसआर खर्च पिछले निरंतर तीन वित्तीय में कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए। सीएसआर-एसवाई समिति की अनुशंसा पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय में निधि योगदान भी शामिल है।

- किसी विशेष वित्तीय वर्ष के सीएसआर के लिए आवंटित बजट राशि खर्च करने में विफलता के मामले में, राशि खर्च नहीं करने के कारणों को बोर्ड की रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाएगा। हालांकि,

इस तरह की अनुपयोगी राशि व्यपगत नहीं होगी और इसे आवंटित किए जाने के लिए उपयोग करने हेतु अगले वर्ष अग्रेणीत किया जाएगा।

(iii) सीएसआर गतिविधियों के प्रस्ताव

सीएसआर गतिविधियों को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अनुमोदन के लिए सीएसआर-एसवाई समिति के पास प्रस्तुत किया जाता है। कि जाने वाली सीएसआर गतिविधियों की पहचान की जाती है और निम्नलिखित मानकों के आधार पर वरीयता दी जाती है अर्थात त्वरित क्रियान्वयन, निधियों का प्रत्यक्ष प्रेषण या धन के हस्तांतरण और जिन्हें कंपनी द्वारा आसानी से मॉनिटर किया जा सके।

(iv) सीएसआर रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर और धारणीयता समिति की संरचना सहित उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर किए गए व्यय व्यय किए गए हैं और पूरा व्यय न करने के कारणों का प्रकटन किया जाता है।

(ख) सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति की संरचना

आज की तिथि को बोर्ड की सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- सुश्री अनुपम बान, समिति के अध्यक्ष और निदेशक/इरकॉन पीबीटीएल
- श्री आनंद कुमार सिंह, समिति के सदस्य और निदेशक/इरकॉन पीबीटीएल
- श्री राजेंद्र सिंह यादव, समिति के सदस्य और निदेशक/इरकॉन पीबीटीएल

पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान हुई सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) समिति की बैठकें:-

1. पहली (1) बैठक: 8 फरवरी, 2017
2. दूसरी (2) बैठक: 20 फरवरी, 2018
3. तीसरी (3) बैठक: 18 फरवरी, 2019

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर गतिविधियों का परिकलनन

विवरण	राशि रूपए में
करपूर्व लाभ/हानि **(01.04.2015 से 31.03.2016)**	**5,69,70,306**
करपूर्व लाभ/हानि **(01.04.2016 से 31.03.2017)**	**82,70,608**
करपूर्व लाभ/हानि **(01.04.2017 से 31.03.2018)**	**1,24,94,271**
कुल करपूर्व लाभ	**7,77,35,185**
औसत करपूर्व लाभ **(6,50,70,914/3)**	**2,59,11,728.33**
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ के दो प्रतिशत की दर से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर देय राशि **(2,59,11,728.33*2%)**	**5,18,234.56**
राउंड ऑफ	**5,18,235**

(घ) निर्धारित सीएसआर व्यय
(उपर्युक्त क्रम संख्या-ग के अनुसार राशि का दो प्रतिशत)

करपूर्व औसत लाभ का 2% 5.18 लाख रूपए है।

(ड.) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर और धारणीयता व्यय

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर और धारणीयता व्यय परियोजना कार्यालय (बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना, राजस्थान) में किया गया है, जो कि बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र के दियारा, श्रीरामसर और सुजानदेसर में स्थित सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना के विकास की ओर है।

सरकारी विद्यालयों में आपूर्ति के रूप में प्रिंटर और यूपीएस और 4 डोर बुक केस और कार्यालय अलमारी के साथ कंप्यूटर की खरीद के लिए 11.84 लाख की राशि का व्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त 792,712/- रूपए की राशि को स्वच्छ भारत कोष (सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम) में योगदान के लिए व्यय किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के निर्धारित अनुसार सीएसआर आवंटन पूरी राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किया जा सके और कंपनी की लेखाबहियों में सीएसआर और धारणीयता व्यय के रूप में विधिवत लेखांकिन यिका जा सके।

सीएसआर और धारणीयता व्यय के विभाजन का विवरण: -

(क) सीएसआर और धारणीयता (सीएसआर-एसवाई) बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए व्यय यथा कंप्यूटर, प्रिंटर, पुस्तक शेल्फ के साथ शीशे वाली अलमारी के माध्यम से किया गया है - रू.11,84,015/-

(ख) स्वच्छ भारत कोष में योगदान - रू.96,712/-

तदनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारित रू.7.49 लाख के सीएसआर प्रावधान और सहित और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित 5.27 लाख की राशि सहित सीएसआर आवंटित हेतु कुल 12.76 लाख की निर्धारित राशि को वित्त वर्ष 2018-19 में खर्च किया गया।

इसप्रकार, निम्नलिखित विवरणों प्रस्तुत हैं: -
(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: रू.12.76 लाख
(ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो; शून्य
(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं करने का कारण: लागू नहीं।

(च) सीएसआर परियोजनाएं

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजनाएं	क्षेत्र	परियोजना का जिला एंव राज्य	परियोजना वार आउटले	खर्च की गई राशि	संचीयी व्यय	प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा
1	राजस्थान के परियोजना कार्यालय, बीकानेर निवार्चन क्षेत्र में सरकारी स्कूल में शैक्षिक अवसंरचना का विकास	शिक्षा	बीकानेर जिला, राजस्थान	रू. 12.76 लाख	रू. 12.76 लाख	रू. 12.76 लाख	प्रत्यक्ष व्यय

अनुबंध-VII

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों सहित 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना की समीक्षा की है:-

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री एम.के.शर्मा	**श्री संजय पोद्दार**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक: 28.05.2019

स्थान: नई दिल्ली

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और तुलनपत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

के सदस्य

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोट

मत

हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("कंपनी") के 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण इस अधिनियम के अंतर्गत यथापेक्षित और 31 मार्च 2019 को कंपनी की कार्यप्रणाली की भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप उक्ततिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन और रोकड़ प्रवाह विवरण का सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मद का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायितव में उल्लिखित है। हम कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लपेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथि भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम के अनुच्छेद 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्यस वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134 (5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दोंऔर लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मान के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर किया गा चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में

तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण, बही खातों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(च) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

(ii) डैरिवेटिव संविदाओं सहित कंपनी का कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार की सामग्रीगत भावी हानियां थीं।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उप-निदेशकों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है**?** यदि हां तो**,** वित्तीय परिणामों**,** यदि कोई हो**,** सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है**,** कृपया स्पष्ट करें।	कंपनी में सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए टेलीप्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
2.	कृपया बताएं कि क्या वहां ऋण/उधार/ब्याज आदि**,** यदि कोई हो**,** में छूट/बट्टा खाता डाले	जी नहीं**,** ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के

	जाने पर कोई प्रतिबंध है। यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव को स्पष्ट करें।	कारण कंपनी में ऋण/उधार/ब्याज आदि, यदि कोई हो, में छूट/बट्टा खाता डाले जाने पर कोई प्रतिबंध का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गा है? विपथन के मामलों की सूची बताएं।	कंपनी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से प्राप्य परियोजना हेतु इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। कंपनी को एनएचएआई से यह आंशिक रूप में प्राप्त हुआ है और इसका लेखांकन/उपयोग करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार किया गया है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000044एन

ह/-
राहुल अग्रवाल-एफसीए
साझेदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 5(1) के संदर्भ में अनुबंध-क।

i. (क) कम्पनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों का उचित रखरखाव किया है जिनसे उसकी नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन का नियमित कार्यक्रम होता है जो हमारे चिपार में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत है। ऐसे सत्यापनोंपर किसी प्रकार की विसंगति को नोट नहीं किया गया था।

(ग) कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्तियां नहीं है, इसलिए कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(i)(ग) का प्रावधान लागू नहीं है।

ii. कंपनी में कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसलिए, कंपनी पर उक्त आदेश के खंड 3(ii) का प्रावधान लागू नहीं है।

iii. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों की हमारी जांचों के आधार पर, कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को/से रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के पैरा 3 (iii) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं की गई हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

v. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कम्पनी अधिनियम

की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा उनके अधीन बनाए गए नियम यहाँ लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं है।

vii. क) कम्पनी सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, आयकर मूल्यसंवर्धन कर, सेवाकर, उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक दये राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक दये राशियाँ नियमित रूप से जमा कराती हैं। हमारे समक्ष प्रस्तुत सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार छह महीनों की अवधि के लिए 31.3.2019 की तारीख को कोई अविवादास्पद देय, उनके देय होने की तिथि से देय नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में कोई अविवादित देय नहीं है, जिन्हें दिनांक 31.03.2019 को विविद के कारण जमा नहीं कराया जा सका।

viii. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक याकसा से कोई ऋण नहीं लिया है और ना ही डिबेंचरधारक के प्रति कोई देय है, ऋणों या कर्ज के पुनर्भुगतान में कंपनी द्वारा चूक का प्रश्न नहीं उठता।

ix. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर या ऋण व्यवस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, इस आदेशक के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या इसके अधिकारयों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर जालसाजी का कोई मामला नहीं हुआ है।

xi. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए इस आदेश के पैरा 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के संव्यवहारों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशित परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई वरियता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

xv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिरियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है।

xvi. कंपन एक गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान नहीं है, इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुच्छेद 45-1ए के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन -000044एन

ह/-
राहुल अग्रवाल-एफसीए
भागीदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 मई 2019

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध-ख।

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2019 को इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्त्यिों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण औ संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अश्किल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अश्व्यिक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे शरतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि

क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित औ अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।
हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिश्याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अश्किल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अश्किल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं। (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं। (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रशवित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, शवी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर उपर्युक्त उल्लिखित सामग्रीगत खामियों के प्रभावं/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सही सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शरत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नष्ट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2019 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन -000044एन

राहुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 501642

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 मई 2019

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
I.	परिसंपतियां					
1	गैर चालू परिसंपतियां					
	(क) परिसंपति संयंत्र और उपकरण	3	0.03		0.01	
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपतियां	4	517.99		-	
	(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियां	4	4.88		277.58	
	(घ) वित्तीय परिसंपत्यिां	5				
	(i) ऋण	5.1	-		-	
	(ii) अन्य	5.2	1.00		0.96	
	(ङ;) आस्थगित कर परिसपतियां (निवल)	6	0.81		0.10	
	अन्य गैर चालू पारसपातया			524.71		278.65
2	चालू परिसंपतित्यां					
	(क) वित्तीय परिसिंपतियां	7				
	(i) व्यापार प्राप्य	7.1	15.15		-	
	(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	7.2	1.29		15.31	
	(iii)अन्य बक शष	7.3	-		20.00	
	(iv) ऋण	7.4	-		0.03	
	(v) अन्य	7.5	112.78		114.62	
	(ग) चालू परिसंपतियां (निवल)	8	4.48		3.37	
	(घ) अन्य चालू परिसंपतियां	9	2.59		0.06	
	कुल चालू परिसंपत्यिां			136.29		153.39
	कुल पारेसपात्या			**661.00**		**432.04**
II.	इक्विटी एवं देयताएं					
1	इक्विटी					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	10	165.00		165.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	11	1.81		3.92	
	कुल इक्विटी			166.81		168.92
2	देयताएं					
(i)	गैर- चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i) ऋण	12.1	309.70		240.85	
	(ii) व्यापार देय	12.2	-		-	
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय					
	- सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय					
	कुल गैर चालू देयताएं			309.70		240.85
(ii)	चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	13				
	(i) ऋण	13.1	28.15		-	
	(ii) व्यापार देय	13.2				
	- सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को देय		-		-	
	- सुक्ष्म और लघु उपक्रमों से इतर अन्य कुल बकाया देय		2.65		19.36	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	14	1.06		0.42	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	15	2.42		2.42	
	(ग) प्रावधान	16	150.21		0.07	
	कुल चालू देयताएं			184.49		22.27
	कुल इक्विटी एवं देयताएं			**661.00**		**432.04**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट	3 - 44				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

दीपक सबलोक	**शोक कुमार गोयल**	**आनन्द कुमार सिंह**
निदेशक	**निदेशक**	**निदेशक**
डीआईएन 03056457	**आईएन 05308809**	**डीआईएन: 07018776**

प्रवीन कुमार अग्रवाल
साझेदार
स.स. 015159

संजय पोद्दार	**अजय कुमार सिंह**
(मुख्य वित्त अधिकारी)	**कार्यपालक अधिकारी)**

सुदोधनी
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि :17 मई 2019

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु लाभ और हानि विवरण

(रूपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु	01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि हेतु
I.	राजस्व :			
	प्रचालनों से राजस्व	17	356.07	277.54
	जमाः एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में टर्नओवर का कंपनी भाग		-	-
II.	अन्य आय	18	0.82	1.27
III.	**कुल आय (I + II)**		356.89	278.81
IV.	व्ययः			
	परियोजना व्यय	19	328.83	258.16
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	2.79	2.76
	वित्तीय लागते	21	25.22	16.63
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि	22	2.77	-
	अन्य व्यय	19	0.10	0.02
	कुल आय (IV).		359.71	277.57
V.	आपवादिम मदों तथा कर पश्चात लाभ/हानि (III - IV)		-2.82	1.24
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	करपूर्व लाभ/हानि (V - VI)		-2.82	1.24
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर			
	- वर्ष हेतु	8	-	0.33
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)	8	-	-
	(2) आस्थगित कर (निवल)	6	(0.71)	0.09
	कुल कर व्यय (VIII)		(0.71)	0.42
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ/हानि (VII - VIII)		**-2.11**	**0.82**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/हानि		-	-
XI	बंद प्रचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों पर लाभ/हानि (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
XIII	अवधि के लिए लाभ/हानि (IX+XII)		**-2.11**	**0.82**
X	अन्य वृहत आय			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर संबंधी मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XI	अवधि के लिए कुल वृहत आय (IX +X) (जिसमें अवधि हेतु लाभ (हानि) और अन्य वृहत आय शामिल हैं)		**-2.11**	**0.82**
XII	प्रति शेयर प्रति आमदनी (निरंतर प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल	25	-0.13	0.05
	(2) विलयित	26	-0.13	0.05
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार			
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट			

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000044 एन

इरकॉन पीबी टॉलीवे लि. के निमित्त और उनकी ओर से

दीपक सबलोक	अशोक कुमार गोयल	आनन्द कुमार सिंह
निदेशक	निदेशक	निदेशक
डीआईएन 03056457	डीआईएन 05308809	डीआईएनः 07018776

प्रवीन कुमार अग्रवाल
साझेदार
स.स. 015159
स्थानः नई दिल्ली
तिथि :17 मई 2019

संजय पोद्दार	एम के शर्मा	सुदोधनी
(मुख्य वित्त अधिकारी)	(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)	कंपनी सचिव

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2019 को रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण		31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
असाधारण मदों व करपूर्व शुद्धलाभ		-2.82	1.24
समायोजन			
मूल्यह्रास परिशोधन तथा हानि		2.77	-
ब्याज आय		(0.73)	(1.26)
कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ	**(1)**	**-0.78**	**-0.02**
समायोजनः			
		(15.12)	(6.31)
व्यापार प्राप्य/ऋणों व अग्रिमों में कमी / (वृद्धि			
दर सूचियों में कमी / (वृद्धि		(0.75)	(92.92)
अन्य परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि		(16.68)	22.17
व्यापार देयताओं में कमी / (वृद्धि		0.90	0.96
अन्य देयताओं वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में कमी / (वृद्धि	**(2)**	**(31.65)**	**(76.10)**
	(1+2)	**(32.43)**	**(76.12)**
प्रचालन से अर्जित रोकड़			
प्रदात्त आयकर		(1.45)	(2.96)
प्रचालनिक गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**(33.88)**	**(79.08)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित नियत परिसंपत्ति की खरीद		(97.88)	(53.80)
प्राप्त ब्याज		0.74	1.27
(निवेश)/ बैंक जमा खातों की परिपक्वता (3 महीनों से अधिक की परिपनक्वता वाले)		20.00	(20.00)
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड	**(ख)**	**(77.14)**	**(72.53)**
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़			
इरकॉन से ऋण		97.00	160.85
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	**(ग)**	**97.00**	**160.85**
विदेशी मुद्रा रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में रूपांतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**	**-**	**-**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल कम	**(क+ख+ग+घ)**	**(14.02)**	**9.24**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (आरंभिक)	**(ड.)**	**15.31**	**6.07**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य (अंतिम)	**(च)**	**1.29**	**15.31**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुन्य से निवल वृद्धि(कम)	**(ड. -च)**	**(14.02)**	**9.24**

नोट :
1. 01 अप्रैल 2017 से, कंपनी ने इंड एएस 7 में संशोधन को स्वीधकार किया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह और गैर रोकड़ परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में आरंभिक और समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने से इस संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. रोकड़ के आउटफ्लो को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है।

3.पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहित/पुननिर्धारित किया गया है, जहां आवश्यक हुआ

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन 05308809

आनन्द कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 07018776

संजय पोद्दार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

एम के शर्मा
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

सुदोधनी
कंपनी सचिव

प्रवीन कुमार अग्रवाल
साझेदार
स.सं501642
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2018

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)
31 मार्च 2019 को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	**01 अप्रैल 2018 को शेष**	**वर्ष के दौरान शेयर बायकैक**	**31 मार्च 2019 को शेष**
	165.00	-	**165.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	**आरक्षित निधि एवं अतिरेक**			**विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर**	**कुल**
	सामान्य आरक्षित निधि	**प्रतिधारित आमदनी**	**पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि**		
01 अप्रैल 2018 को शेष	**-**	**3.92**	**-**	**-**	**3.92**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-			**-**
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	**-**	**3.92**	**-**	**-**	**3.92**
वर्ष हेतु लाभ		-2.11			-2.11
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		-			-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर				-	-
अवधि हेतु कुल वृहत आय	**-**	**-2.11**	**-**	**-**	**-2.11**
इक्विटी शेयरों का बायबैक			-		-
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृहद्धहेतु शुल्क का भुगतान		-			-
घटा: शेयरों के बायबैक का भुगतान		-			-
घटा: प्रदत्त लाभांश		-			-
घटा: लाभांश संवितरण कर		-			-
घटा: बोनस इश्यु		-			-
31 मार्च 2019 को शेष	**-**	**1.81**	**-**	**-**	**1.81**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

प्रवीन कुमार अग्रवाल
साझेदार
स.सं501642
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2019

दीपक सबलोक	**आनन्द कुमार सिंह**	**अशोक कुमार गोयल**
निदेशक	**निदेशक**	**निदेशक**
डीआईएन 03056457	**डीआईएन: 07018776**	**डीआईएन: 05308809**

संजय पोद्दार	**एम के सिंह**	**सुदोधनी**
(मुख्य वित्त अधिकारी)	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

31 मार्च 2018 को इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी		**01 अप्रैल 2018 को शेष**	**वर्ष के दौरान शेयर बायकैक**	**31 मार्च 2019 को शेष**
		165.00	-	**165.00**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	**आरक्षित निधि एवं अतिरेक**			**विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के रूपांतरण पर विनिमय अंतर**	**कुल**
	सामान्य आरक्षित निधि	**प्रतिधारित आमदनी**	**पूंजी रिडेम्पशन आरक्षितनिधि**		
01 अप्रैल 2017 को शेष	**-**	**3.10**	**-**	**-**	**3.10**
लेखांकन नीति एंव पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन		-			**-**
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष की पुन:बहाली	**-**	**3.10**	**-**	**-**	**3.10**
वर्ष हेतु लाभ		0.82			0.82
अन्य वृहत आय					
निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		-			-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर				-	-
अवधि हेतु कल वृहत आय	**-**	**0.82**	**-**	**-**	**0.82**
इक्विटी शेयरों का बायबैक			-		
घटा: प्राधिकृत पूंजी में वृहद्धहेतु शुल्क का भुगतान		-			-
घटा: शेयरों के बायबैक का भुगतान		-			-
घटा: प्रदत्त लाभांश		-			-
घटा: लाभांश संवितरण कर		-			-
घटा: बोनस इश्यु		-			-
31 मार्च 2018 को शेष	**-**	**3.92**	**-**	**-**	**3.92**

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन:000044एन

दीपक सबलोक
निदेशक
डीआईएन 03056457

आनन्द कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 07018776

अशोक कुमार गोयल
निदेशक
डीआईएन: 05308809

साझेदार
स.सं501642
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17 मई 2019

संजय पोद्दार
(मुख्य वित्त अधिकारी)

एम के सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सुदोधनी
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरणों के नोट

1. कंपनी का परिचय

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ("इरकॉन पीबीटीएल") (सीआईएन) यू45400डीएल2014 जीओआई1272220, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब इसका निगमन इरकॉन द्वारा 30.09.2014 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक विशेष कार्य वाहन के रूप में किया गया था और और इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 में किमी 55.250 से किमी 163.50 तक बीकानेर-फलौदी खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण की परियोजना को प्रदान करने के लिए 7 नवंबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी)(टोल) आधार पर किया गया था। कंपनी ने व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रमाणपत्र प्रापत करने हेतु दिनांक 10 अक्तूबर 2014 को फॉर्म सं. 21 पर एमसीए को आवेदन प्रस्तुत किया और 14 नवंबर 2014 को उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया था। तदनुसार एसपीवी ने 4 नवंबर 2014 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत करार के अनुच्छेद 24, खंड 24.1 के प्रावधानों के अनुसार, रियायत ग्राही को करार की तिथि से 180 दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करना अपेक्षित है ताकि एनएचएआई परियोजना के वास्तविक कार्य आरंभ हाने से पूर्व वह नियुक्ति तिथि, जिसे निर्धारित तिथि कहते हैं, की अधिसूचना कर सके। रियायतग्राही द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया था; तदनुसार, एनएचएआई द्वारा 14 अक्तूबर 2015 को नियुक्ति तिथि निर्धारित की गई थी। निर्माण अवधि सहित 26 वर्ष की रियायत अवधि 14 को आरंभ हुई जैसा कि एनएचएआई द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है। रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार एनएचएआई द्वारा 327.00 करोड़ रूपए के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी को दिनांक15 फरवरी 2019 को अनन्तिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (डीओडी) प्राप्त हुई है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2 तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण का आधार

1. तैयारी का आधार

(i) अनुपालन रिपोर्ट

कंपनी ने वित्तीय विवरणों को भारत में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत यथाअधिसूचित लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

(II) **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत अभिसमय और संचित आधार पर तैयार किया गया है:-

क. सेवा रियायत करार के अंतर्गत सम्पत्तियां और देयताएं।

ख. कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओंको उचित मूल्य पर मापा गया है (वित्तीय प्रलेखों के संबंध में लेखांकन नीति का संदर्भ लें)।

ग. पैरा (6) के अनुसार प्रावधान, जहां राशि समय मूल्य हैं है तथ्यात्म है।

घ. सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र (12 महीने) और इस अधिनियम की अनुसूची-।।। के अंतर्गत निर्धारित मापदंडक के अनुसार चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ङ. कंपनी कं वित्ती विवरणरों को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत की क्रियात्मक मुद्रा है।

ii) **चालू और गैर चालू के वर्गीकरण का आधार**

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू या गैर चालू वर्ग में वर्गीकृत किया गया है: परिसंपत्तियों को चालू में वर्गीकृत किया गया है यदि :

- वह कंपनी के समान्य प्रचालन चक्र में वसूली की जानी है या बिक्री या उपभोग के लिए प्रयोग की जानी है, या
- उसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के लिए रखा गया है, या
- इसे रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर वसूली किए जाने की संभावना है, या
- यह रोकड़ या रोकड़ समतुल्य है, बशर्ते यह विनियम के लिए प्रतिबंधित है या प्रचालन की तिथि के पश्चात कम से कम बारह महीनों के भीतर देयता के निपटान के लिए प्रयोग की जाएगी।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

देयता को गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब

- इसके कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है, या
- इसे मुख्य रूप से व्यापार किए जाने के प्रयोजन से रखा गया है, या
- इसका रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीनों के भीतर निपटान किया जाना है, या
- कंपनी के पास कम से कम बारह महीनें के लिए देयता के निपटान के स्थगन का अशर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

प्रचालनिक चक्र प्रक्रिया हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके रोकड़ या रोकड़ समतुल्य में वसूली के बीच का समय है।

iv) अनुमानों और निर्णय का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को इंड एएस के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान तथा संभावनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, की रिपोर्टिंग राशि तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के अनुप्रयोग को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम उनके अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

प्रमुख लेखांकन अनुमान एवं निर्णयः

- वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य मापन।
- परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल।
- निर्माण संविदाओं के समापन प्रतिशत का निर्धारण।
- गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि।
- आस्थगित एवं चालू कर अनुमान।

कंपनी निष्पादन दायित्वों के सम्पूर्ण संतोष के प्रति अपनी प्रगति का युक्तिसंगत रूप से अनुमान लगाने के पश्चात समय के साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु राजस्व को स्वीकार करती है।

राजस्व को स्वीकार करने के लिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, दावों (क्षतिपूर्ति, छूट आदि) तथा अन्य भुगतानों पर किए जाने वाले अपेक्षित अनुमानों और निर्णयों के निर्धारण की

आवश्यकता है, जिस स्तर तक वे संभावित हैं और वे विश्वसनीय रूप से मापे जाने के लिए सक्षम हों। दावों के लिए अनुमान तैयार करने के प्रयोजन से, कंपनी ने संविदागत तथा ऐतिहासिक सूचना का प्रयोग किया है।

सेवा रियायत करार लेखांकन का अनुप्रयोग

इंड एएस 115 का परिशिष्ट–ग सेवा रियायत व्यवस्थाएं सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं पर लागू होता है, जिन्हें उन संविदाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनके अंतर्गत गारंटर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने का अधिकार रियायत ग्राही को प्रदान करता है जो उन सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अवसंरचना के प्रबंधन के प्रतिफल के रूप में विशिष्ट अवधि के लिए मुख्य सार्वजनिक सेवाओं पर पहुंच उपलब्ध कराता है।

अधिक विशिष्ट रूप से यह सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है यदि गारंटरः–

- **यह नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक अवसंरचना से क्या सेवाएं उपलब्ध कराएगा, किसको उपलब्ध कराएग और किस कीमत पर उपलब्ध कराएगा, और**
- **स्वामित्व या अन्यथा के माध्यम से नियंत्रण - व्यवस्था की अवधि की समाप्ति पर कोई विशिष्ट अवसंरचनात्मक अवशिष्ट हित।**

कंपनी को कतिपय शर्तों और निबंधनों के अध्याधीन और रियायत अवधि के दौरान एनएचएआई से 327 करोड़ रूपए का नियत अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए, इस राशि को इंड एएस 11 के परिशिट-क के अनुसार क्रमश: राजस्व को स्वीकार करते समय विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों से और इसकी लागत से भी घटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास रियायत अवधि के दौरान टोल रोड के प्रयोक्ताओं से प्रभार वसूलने का लाइसेंस प्राप्त है, और वह इंड एएस 11 के परिशिष्टक के अनुसार "अमूर्त परिसंपत्ति मॉडल" का अनुसरण कर रही है।

कंपनी अपनी सभी परियोजनाओं की लागत को लाभ और हानि में प्रभारित करेगी और निर्माण राजस्व को उचित मूल्य यथा शून्य मार्जिन पर स्वीकार करेगी।

प्राक्कलनों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की समीक्षा आवधिक रूप से की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और उक्त परिणामों व इस अवधि के लिए स्वीकृत अनुमानों, जिसमें परिणाम ज्ञात/सामग्रीगत होते हैं, के बीच अंतरों के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं।

सभी वित्तीय सूचवनाओं को भारतीय रूपए में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों कों दो दशम्लव तक निकटत करोड़ रूपए में राउंड ऑफ किया गया है, केवल वहां छोडकर जहां अन्यथा उल्लिखित हो।

3. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा गैर–रोकड़ प्रकृति के संव्यवहारों तथा भावी रोकड़ प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित या बीमांकक के संव्यवहारों को प्रभावित करने से पूर्व लाभ/(हानि को) समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तीय गतिविधियों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया जाता है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(1) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यह्रास तथा गैर वसूली योग्य घाटों, यदि कोई हो, पर मापा जाएगा।

(2) मशीनरी कलपुर्जे जिनका प्रयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में हो सकता है और ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के शेष जीवनकाल पर इनका प्रयोग अनियमित और पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित/परिशोधित किए जाने की संभावना हो।

(3) परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागत।

ख. निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को उस स्तर तक निर्माण की प्रत्यक्ष लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाएगा जिस स्तर पर वह निर्माण या इसकी आकस्मिकता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

ग. वस्तुओं को उस स्थल से विखंडित करने और हटाने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(4) प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण कलपूर्जों की मरम्मत तथा दीर्घकालीन निर्माण परियोजनाओं की ऋण लागत को पूंजीकृत किया गया है, यदि स्वीकृति मापदंड को पूरा किया जाए।

(5) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की कोई मद और कोई महत्वपूर्ण भाग जिसे

आरंभिक रूप में स्वीकार किया गया है, को उसके निपटान या जब उसके प्रयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो, पर उसे अस्वीकार किया गया है। परिसंपत्ति को अस्वीकार करने पर उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान राशि और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को आयकर में शामिल किया गया है।

(6) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को बकाया संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के प्रति प्रदत्त राशियां और उन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत, जो उस तिथि से पूर्व वांछित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, को प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा। वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने से पूर्व परियोजनाओं के प्रति प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना विकास व्यय के रूप में देखा जाएगा और उन्हें प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

मूल्यह्रास एवं परिशोधन

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार (एमएलएम) पर प्रावधान किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मद के प्रत्येक भाग को पृथक रूप से मूल्यह्रासित किया जात है। यदि उस भाग का मूल्य मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग का उपयोगी जीवन अन्य शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की महत्वपूर्ण मदों की चालू अवधि के लिए परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ़लैट : आवासीय/गैर आवासीय	60
संयंत्र और मशीनरी	8–5
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर	3–6
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10
कारवांग, कैंप और अस्थायी शेड	3–5
वाहन	8–10

पट्ट वाली भूमि तथा उसमें परिशोधनों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

मूल्यह्रास अवधियों, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा तथा भावी समायोजन, यदि उपयुक्त हो, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी। सामान्य रूप से परिसम्पत्ति का शेष मूल्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में विनिर्दिष्ट अनुसार परिसंपत्ति के मूल लागत के 5 प्रतिशत तक होगा।

वर्ष के दौरान अधिग्रहित सम्पति संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत पृथक रूप से 5000 रूपए तक है, को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यह्रासित किया जाएगा। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाईल फोन को राजस्व में प्रभारित किया जाता है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो।

5. अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन

क) अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार पर उनके संबंधित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाएगा

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकालः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	स्वःसृजित/अधिग्रहित
पट्टा अधिकार	36 माह	अधिग्रहित

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवनकाल और शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाएगी।
प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए की साफ्टवेयर लागत को चिह्नन के लिए 1 रूपए के सांकेतिक मूल्य रखते हुए क्रय के वर्ष में पूर्णत परिशोधित किया जाएगा।

ख. टोल प्रचालन (टोल रोड़ सेवा रियायत व्यवस्था)

कंपनी सेवा रियायत व्यवस्था से उत्पन्न अपूर्त परिसंत्तियों को स्वीकार करती है जब ज उसे रियायत अवसंरचना के प्रयोग हेतु प्रभार वसूलने का अधिकार दियाजाता है। रियायत सेवा

करार में निर्माण या स्तरोन्नयित सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त अपूर्त परिसंपत्ति को उपलब्ध कराई गई सेवा के उचित मूल्य के संदर्भ द्वारा आरंभिक स्वीकृति पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। आरंभिक स्वीकृति के परिणामस्वरूप, अमूर्त परिसंपत्तिको लागत घटा संचित परिशोधित और संचित हानि पर मापा जाता है।

कंपनी इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को स्वीकार करती है। वीजीएफ की कुल संभावित राशि को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति (सेवा रियायत करार के अंतर्गत सृजित की गई) और चालूपरिसंपत्तियों के अंतर्गत प्राप्य से कम किया जाता है और इसे सेवा रियायत करार से संबंधित इंड एएस-।। के परिशिष्ट क की तर्ज पर स्वीकार किया जाता है। वीजीएफ के प्रति प्राप्त किसी राशि भी राशि को तत्पश्चात चालू परिसंपत्ति से घटाया जाता है, जो कि उपर्युकत अनुसार सृजित है।

6. रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

7. प्रावधान

प्रावधान किए जाते हैं जब :-

(i) पूर्ववर्ती घटना के परिणामों के रूप में समूह का वर्तमान दायित्व स्थापित हो,

(ii) दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गमन की सम्भावना हो, और

(iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

जब एक प्रावधान को प्रति संविदा प्रावधान के रूप में स्थापित कर लिया जाता है, या जब यह निश्चित रूप से सुनिश्चित हो जाता है कि धन वापसी प्राप्त हो जाएगी, अपेक्षित व्यय निपटान के लिए धन वापसी का प्रावधान किया जाता है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों का खंडन

उपर्युक्त स्वीकृत प्रावधान, जिनकी 12 महीनों से अधिक की अवधि में निपटान होने की संभावना है को करपूर्व रियायत दर का प्रयोग करके वर्तमान मूल्य पर निर्धारित किया गया है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाते हैं। समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्ययों के रुप में स्वीकार किया गया है।

8. राजस्व मान्यता

राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां यह संभावना हो कि इससे कंपनी के प्रभाव में आर्थिक लाभ होगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा।

(क) निर्माण सेवा 5से राजस्व

(i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीसीएम) सेवाओं से राजस्व : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व प्राप्त किया जाता है जब माल एवं सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों की ऐसी धनराशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो इस आधार पर है कि कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करे।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी में आर्थिक लाभ प्राप्त हों और राजस्व तथा लागतों, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

यदि हमारे ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में अन्य पक्ष शामिल होता है तो कंपनी निर्धारण करती है कि ग्राहकों को किए गए वादे की प्रकृति का मूल्यांकन करके इन संव्यवहारों को करने वाला प्रधान पक्ष है या एजेंट है। राजस्व को सकल आधार पर बुक किया जाता है, जहां कंपनी प्रधान पक्ष के रूप में कार्य करती है और यदि कंपनी एजेंस के रूप में कार्य करती है तो अपनी सेवाओं के लिए प्रतिधारित निवल राशि पर। कंपनी ने संविदाओं के तथ्य पर विचार करके राजस्व को स्वीकार किया है।

सभी पीएमसी संविदाओं में, कंपनी प्रस्तुत दायित्वों की पूर्ण निष्पादन की दिया में उसकी प्रगति को मापने के पश्चात समय के साथ–साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करता है, उस स्थिति में जहां निष्पादन दायित्व के

परिणाम को उचित रूप वे माना नहीं जा सकता है किन्तु कंपनी को संतोषजनक निष्पादन के लिए लागत की वसूली की आशा होती हो, राजस्व को केवल उस समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबतक कि यह कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणामों को यथोचित मापन नहीं है।

निष्पादन दायित्वों को इपपुट विधि के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहां निष्पादन दायित्वों को इनपुट विधि द्वारा मापना संभव नहीं है वहां इन अनुबंधों के लिए आउटपुट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कार्यनिष्पादन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा ताजा है, जो निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किए जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि को अलग कर दिया जाता है तथा इसका समायोजन वेरियेबल दृष्टिकोण, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

संविदा के आरंभ होने के पश्चात, संव्यवहार के मूल्य विभिन्न कारकों के कारण बदल सकते हैं। संव्यवहार के मूल्य में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निर्धारित समय पर उसी आधार निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरुस्प, एक संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में संव्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व, लागत या पूर्णता की दिशा में प्रगति का अनुमान संशेधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों के कारण परिणम में वृद्धि या कमी हो सकती है और इस परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि को शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उसी अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भावी अवधि दोनों का प्रभावित करता है।

यदि कंपनी ग्राहकों द्वारा विचार किए जाने या देय भुगतान किए जाने से पूर्व किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है तो संविदागत परिसंपत्ति अर्जिन के लिए मान्यता प्राप्त है और यह स्थिति शर्त सहित है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में सेवा स्थानांतरित करने से पहले भुगतान पर विचार करता है तो भुगतान किए जाने या भुगतान के लिए देय राशि (जो भी पहले हो) के लिए अनुबंध दायित्व को स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

(ख) टोल एकत्रण से राजस्व

क्ंपनी टोल राजस्व को तब स्वीकार करती है जब कभी उसे संव्यवहार मूल्य एकत्र

किया जाता है अर्थात प्रयोग शुल्क पर, जो कि तीसरे पक्षों की ओर से एक; राशि से अलग है।

अन्य राजस्व स्वीकृति

लाभांश आय को तब स्वीकार किया जता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्यात दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

9. गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को क्षतिपूर्ण तब माना जाता है जब उक्त परिसंपत्ति का वसूलनीय मूल्य परिसंपत्ति की वहन लागत से अधिक हो जाता है और इंपेयर्ड हानि को उस वर्ष के लाभ हानि खाते में लेखांकित किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को क्षति के रूप में पहचाना गया है। कंपनी प्रत्येक रिपार्टिंग तिथि पर क्षतिपूर्ण घाटे की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखांकन अवधि में लेखांकित इंपेयर्ड क्षति को रिवर्स किया जाता है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है और ऐसी हानियां अब विद्यमान नहीं हैं या कम हो गई हैं। व्युत्क्रम या आंशिक हानियों को लाभ व हानि विवरण में लेखांकित किया जाएगा।

10. उधार लागतें

सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उधार लागतों को व्यय के रूप में प्राभारित किया जाता है, जिस अवधि में वे व्यय किए गए हैं। अधिग्रहण, अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से होने वाली उधार लागत को वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने तक ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

(1) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

प्रदान की गई सेवा के लिए भुगतान किए जाने वाले अनुमानित अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को अरियायती राशि को उस अवधि का व्यय माना जाता है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

(2) सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सेवापूर्व लाभ और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ प्रदान किए जाते हैं जब कर्मचारी प्रतिनियक्ति पर होते हैं।

12. पट्टा

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टा:-

(i) जो व्यापक स्तर पर सभी जोखिमों और प्रतिफलों को आकस्मिक रूप में परिसंपत्ति के स्वामित्व पर हस्तांतरित करता है, उसे न्यूनतम पट्टा भुगतान के उचित मूल्य या वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पट्टा आरंभ पर पूंजीकृत किया जाता है।

(ii) भुगतानों को वित्तीय प्रभारोंऔर पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता की शेष राशि पर ब्याज की स्थिति दर प्राप्त की जा सके।

(iii) वित्तीय प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागतों पर स्वीकार किया गया है।

(iv) परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित। तथापि, यदि पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करने की कोई युक्तिसंगत निश्चितता नहीं है तो, परिसंपत्ति को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा अवधि में से कम अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

प्रचालन पट्टा -

(i) पट्टे को प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब जोखिम और प्रतिफलों के प्रमुख भाग को कंपनी में अंतरित नहीं किया जाता है।

(ii) आय को पट्टा अवधि के स्थान पर सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पट्टा भुगतान संभावित सामान्य मुद्रास्फीति की तर्ज पर वृद्धि के लिए निर्धारित हो ताकि संभावित स्फीतिकारी लागत वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके।

13. चालू आयकर

(i) चालू आय सहित करों की राशि का निर्धारण लागू कर दरों और कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

(ii) राशि के परिकलन के लिए प्रयेक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जिन्हें उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है जहां कंपनी प्रचालन कर रही है और करयोग्य आाय का सृजन हो रहा है।

(iii) चालू तथा पूर्व अवधियों के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का आकलन वसूली की संभावित राशि या कर प्राधिकारियों को भुगतान की गई राशि पर किया जाता है। अतिरिक्त कर के लिए देयता, यदि कोई हो, का प्रावधान/भुगतान तक किया जाता है जब आकलन पूरे हो जाते हैं।

(iv) ओसीआई मदों के संबंध में चालू कर को अन्य वृहत आय में स्वीकृत किया जाता है।

ख) आस्थगित कर

(i) आस्थगित आय कर को आगामी तुलनपत्र का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

(ii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतर पर स्वीकार किया जाता है, जिसका परिकलन कर दरों और कर कानूनों के प्रयोग से किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को पारित या विशिष्ट रूप से पारित किया गया है।

(iii) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को यथा संभव उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है जहां करयोग्य लाभ उपलब्ध हो जिसके प्रति कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, तथा अप्रयुक्त कर ऋणों और अप्रयुक्त कर घाटों के कैरीफार्वड को प्रयोग किया जा सके।

(iv) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की प्रतिधारण राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा।

(v) ओआईसी मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है।

15. प्रचालन सेगमेंट

प्रचालन सेगमेंट को इस रूप में रिपोर्ट किया जाता है जो मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को उपलब्ध आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार हो। तदनुसार, कंपनी ने भौगोलिक स्थल के आधार पर एक प्रचालनिक रिपोर्टिंग सेगमेंटों की पहचान की है।

16. प्रति शेयर आमदनी

प्रति शेयर मूल आमदनी निर्धारित करने के लिए, समूह इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आमदनी के परिकलन में प्रयुक्त

शेयरों की संख्या उस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की संख्या का औसत है। प्रति शेयर विलयित आमदनियों के निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के प्रति निवल लाभ और इस अवधि के दौरान बकार्यों शेयरों की औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

17. क्रियात्मक मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थित वातावरण की मुद्रा का प्रयोग करके मापा जाता है, जहां कंपनी प्रचालन कर रही है (क्रियात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरण भारती रूपए में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण एवं क्रियात्मक मुद्रा हैं।

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार

सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तिथि को प्रचलित दर पर क्रियात्मक मुद्रा में अंतरित किया जाता है!

गैर–मौद्रिक मदों को आरंभिक संव्यवहार की तिथि की दर में अंतरित किया जाता है!

विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित मौद्रिक मदों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्तियों की देयताओं और समापन क्रय दर हेतु समापन बिक्री दरों पर अंतरित किया जाता है!

डपर्युक्त संव्यवहारों के संबंध में विनिमय लाभों/हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

18. आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक सम्पतियाँ

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नलिखित किसी भी मामले में किया जाता है।

i. भूतपूर्व घटना से वर्तमान दायित्व उत्पन्न हों, जब यह संभव न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के निर्गम की आवश्यकता हो; या

ii. वर्तमान दायित्व में विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव न हों; या

iii. एक संभावित दायित्व में बशर्ते संसाधनों के निर्गम की संभावना न्यूनतम हो।

आकस्मिक संपत्तियों की ना तो पहचान हो सके, ना ही प्रकटन।

आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तारीख को की जाती है।

आकस्मिक देयता निपटान पर संभव आउटफ्लो को ध्यान मे रखते हुए निवल अनुमानित प्रावधान है।

19. उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर वित्तीय माध्यमों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है जो परिसंपत्ति की बिक्री या देयता के अंतरण के लिए भुगतान हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रूप में निष्पादित होगाः

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार कंपनी के लिए सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार यह इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करती है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए वित्तीय विवरण में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्ध किया जाता है।

– स्तर 1 – कोट किया गया (समायोजित) समरूपी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों में बाजार मूल्य।

– स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।

– स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए एचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनःआंकलन श्रेणीकरण (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा निर्धारित करती है कि क्या इस पदक्रम के स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों के संचलन का विश्लेषण करती है, जिसकी आवश्यकता लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनःमापन या पुनःआकलन के लिए होती है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संगत अभिलेखों के मूल्यांकन परिकलन की सूचना से सहमत होकर अद्यतन मूल्यांकन में लागू प्रमुख इनपुटों को सत्यापित करती है।

कंपनी संगत बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और दायित्व के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन युक्तिसंगत है।

उचित मूल्य प्रकटनों के प्रयोजन से, कंपनी परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों तथा उपर्युक्त मूल्य क्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण करती है।

20. इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश को उस वर्ष के लिए स्वीकार किया जाताा है, जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को यथा उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

21. वित्तीय माध्यम

i. आरंभिक स्वीकृति और मापन

वित्तीय माध्यमों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय माध्यमों के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं।

ii.. **अनुवर्ती मापन**

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता हैः

परिशोधित मूल्य पर

ऋण माध्यमों को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैंः

i) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के भीतर ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोगड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

ii) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण माध्यम (एफवीटीओसीआई)

ऋण माध्यम को अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होते हैंः

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ऋण माध्यमों को नामित करने के लिए चयन कर सकती है, जो अन्यथा एवीटीपीएल पर परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मापदंड को पूरा करते हैं। ऐसा करने पर मापन या अस्थायी स्वीकृति कम होती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय देयताएं

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि पर व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रूप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं को आरंभिक तौर पर उचित मूल्य पर और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर प्रतिधारित किया जाता है

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कंपनी एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को नामित नहीं करती है।

गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है या वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है या परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरिक करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वाहन हो जाता है या वह रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब व्यापक रूप से भिन्न शर्तों पर या मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा

वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

22. वित्तीय विवरणों की हानि

कंपनी क्षतिपूर्ण हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल का प्रयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रही है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को ऋण जोखिम में रेलपथ परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है । बल्कि वह आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को जीवनभर ईसीएल के आधार पर क्षतिपूर्ण घाटे को स्वीकार किया है।

कंपनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण माध्यमों पर प्रतिधारित परिसंपत्तियों के साथ संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करती है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

3 परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड़ में)

	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	कुल
सकल वहन मूल्य (लागत पर)			
31 मार्च 2017 को	**0.01**	**-**	**0.01**
संवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
विनियम लाभ/(हानि)	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**0.01**	**-**	**0.01**
संवर्धन	-	0.02	0.02
निपटान/समायोजन	-	-	-
विनियम लाभ/(हानि)	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**0.01**	**0.02**	**0.03**

मूल्यह्रास एवं हानि

31 मार्च 2017 को	**-**	-	**-**
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	-
संवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
विनियम लाभ/(हानि)	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	-
संवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
विनियम लाभ/(हानि)	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**-**

निवल बही मून्य			
31 मार्च 2019 को	**0.01**	**0.02**	**0.03**
31 मार्च 2018 को	**0.01**	**-**	**0.01**
31 मार्च 2017 को	**0.01**	**-**	**0.01**

फ़ुट नोट:

i) वर्ष के लिए परिसंपत्ति , सयंत्र और उपकरण परमूल्यह्रास और हानि जिसे लाभ और हानि विवरणण के नामे किया गया है:

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	-	-
घाटा	-	-
कुल	**-**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

4 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त (टोल रोड)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	**223.78**		-
वर्ष के दौरान संवर्धन	277.54		-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन##	223.74		-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**277.58**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान संवर्धन (संदर्भ नोट 41 (क) व (ख)	338.17	520.76	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	520.76		-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन##	90.11	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**4.88**	**520.76**	**-**
## एनएचएआई से इक्विटी सहायता को अमूर्त परिसंपत्तियों से कम किया जाएगा			
परिशोधन एवं हानि			
31 मार्च 2017 को अंतिम शेष	**-**		**-**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को अंतिम शेष	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	2.77	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**-**	**2.77**	**-**
निवल बही मल्य			
31 मार्च 2019 को	**4.88**	**517.99**	**-**
31 मार्च 2018 को	**277.58**	**-**	**-**

नोट:

1. अमूर्त परिसंपत्यिां (टोल रोड) में टोल रोड के ईपीसी कार्यों सहित टोल रोड के लिए अनिवार्य साफ्टवेयर सहित आईओ अवसंरचना का मूल्यि भी शमिल है। इसकी अलग से गणना नहीं की गई है और यह परिसंपति का अभिन्न अंग है।

2. . संदर्भ नोट 41(क) व 41(ख)

वित्तीय परिसंपत्तियां (गैर चालू)

5.1 ऋण

(रूपए करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
कः रक्षित, वसूली योग्य कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	-
कुल (क) - रक्षित ऋण	**-**	**-**
सकल योग - ऋण	**-**	**-**

* निदेशकों को देय राशि का ब्यौराः (रूपए करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
स्टाफ ऋण और अग्रिम सहित निदेशकों से देय राशि	-	-
कुल	**-**	**-**

5.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- अन्य	0.04	-
- ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि (संदर्भ नोट 41(च)	0.96	0.96
स्टाफ को अग्रिम से संचित ब्याज	-	-
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां	**1.00**	**0.96**
सकल योग - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**1.00**	**0.96**

आस्थगित कर देता

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
अन्य	0.81	0.10
31 मार्च को अंतिम शेष	**0.81**	**0.10**

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समाधान/संचलन

विवरण	**पीपीपी व अमूर्त परिसंपत्तिया**	**अन्य**
31 मार्च 2017 को	**-**	**0.20**
(प्रभारित)/नामे :		
- लाभ/हानि विवरण में	-	(0.09)
31 मार्च 2018 को	**-**	**0.11**
(प्रभारित)/नामे :		
- लाभ/हानि विवरण में	-	0.71
31 मार्च 2019 को	**-**	**0.82**

आस्थगित कर देयताओं को अलग रखागया है क्यों कि वे समान शासी नियम से संबंधित है।

आयकर व्यय

लाभ या हानि खंड **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
चालू आय कर		
चालू आय कर प्रभार	-	0.33
पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
आस्थगित कर:		
स्थायी अंतरणों की उत्पत्ति और रिवर्सल में संबंध	(0.71)	0.09
लाभ और हानि विवरण से संबंधित आय कर व्यय	**-0.71**	**0.42**

दिनांक 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2019 को कर व्यय और लेखांकन लाभ के भरत के घरेलू कर दर से गुणा द्वारा समायोजन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
निरंतर प्रचालनों से लेखांकन कर पूर्व लाभ	(2.83)	1.25
बंद प्रचालनों से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**-2.83**	**1.25**
भारत की सांविधि आय कर दर 263% (31 मार्च 2018:30.90 प्रतिशत)	-	0.33
पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	-	-
पूर्व में अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
- अन्य प्रयोजनों से संबंधित आस्थगित कर व्यय		
कर प्रयोजनों हेत् गैर-कटौती व्यय:		
अन्य गैर कटौती व्यय	-	-
- अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	-	-
प्रभावी आयकर दर 26.% **(31 मार्च 2018 :30.9 प्रतिशत)**	**-**	**0.33**
लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	(0.71)	0.42
बंद प्रचालनों से संबंधित आयकर	-	-
	-0.71	**0.42**

7 वित्तीय परिसंपत्तियां

7.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अरक्षित वसूली योग्य		
- व्यापार प्राप्य* (संदर्भ नोट सं. 30, 40(घ) व 41(च)	15.15	-
कुल	**15.15**	**-**

7 वित्तीय परिसंपत्तियां

रोकड़ व रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंकों में शेष		
- चालू खतों में	0.44	1.33
- फ्लैक्सी खातों में	0.85	-
- तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले	-	13.98
	1.29	**15.31**

7.3 रोकड़ व रोकड़ समतुल्य से इतर बैंक खाते

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अन्य बैंक खाते		
- तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिपक्वता वाले	-	20.00
	-	**20.00**

7 वित्तीय परिसंपत्तियां

7.4 ऋण

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
		(रूपए करोड में)
क. वसूली योग्य: रक्षित		
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	-	0.02
कुल (क) - रक्षित ऋण	**-**	**0.02**
ख. वसूली योग्य: अरक्षित		
कर्मचारी ऋण व अग्रिम	-	0.01
कुल (ख) - वसूली योग्य - अरक्षित ऋण	**-**	**0.01**
सकल योग	**-**	**0.03**

7.5 अन्य वित्तीय परिसिंपत्तियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
- ग्राहकों से आहरित राशि (संदर्भ नोट सं. 41(च)	0.88	0.88
संचित ब्याज		
- स्टाफ को अग्रिम	-	0.01
- बैंकों में जमा राशि	-	0.01
अन्य वसली योग्य (संदर्भ निम्न नोट (क)	111.90	113.72
कल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसली योग्य	**112.78**	**114.62**

नोट

(क) अन्य वसूली योग्य में शामिल हैं 102.51 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 100.98 करोड़ रूपए), जो एनएचएआई से इक्विटी सहायता के रूप में हैं (संदर्भ नोट स. 41('ग'), 29(ख), 41(घ) and 41 (ङ) ।

8 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
टीडीएस एवं अग्रिम कर सहित प्रदत्त कर (करहे तु प्रावधान का निवल)	4.48	3.37
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**4.48**	**3.37**

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्रदत्त कर		
आयकर - टीडीएस	4.48	3.70
अग्रिम आय कर		
घटा : कर हेत् प्रावधान	-	(0.33)
कुल	**4.48**	**3.37**

9 अन्य चालू परिसंपतियां

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
- मूल्य संवर्धन कर	-	0.02
- वस्तु एवं सेवा कर	2.45	-
कर पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम	**2.45**	**0.02**
ख) अन्य		
प्रदत्त व्यय	0.14	0.04
कुल - अन्य	**0.14**	**0.04**
ग) संदिग्ध समझे गए		
कुल - संदिग्ध समझे गए	**-**	**-**
सकल योग	**2.59**	**0.06**

10 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड़ में)

विवरण				31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी					
17,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए				175.00	175.00
				175.00	175.00
जारी/ अंशदायी और प्रदत्त शेयर पूंजी					
16,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रूपए				165.00	165.00
				165.00	**165.00**

कंपनी में शेयरधारक होल्डिंग का ब्यौरा:

शेयरधारक का नाम	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**	
	शेयरों की संख्या (करोड में)	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	शेयरों की संख्या (करोड में)	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)	16.50	100.00	16.50	100.00
कुल	16.50	100.00	16.50	100.00

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्षों की अवधि के दौरान रोकड़ से इतर और बायबैक शेयरों पर विचार करने के लिए बोनस, व शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की समग्र संख्या।

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

(क) वोटिंग

कंपनी में प्रति 10 रूपए मूल्य के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है।

प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक शेयर के लिए एक मत हेतु पत्र है।

(ग) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियापन की स्थिति में, इक्विटी का धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात शेष परिसंपत्तियों के लिए पात्र होंगे। यह संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या
के अनुपात में होगा।

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	**31 मार्च 2019 को**		**31 मार्च 2018 को**	
	शेयरों की संख्या (करोड में)	**रूपए करोड़ में**	शेयरों की संख्या (करोड में)	**रूपए करोड़ में**
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया	16.50	165.00	16.50	165.00
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान शेयरों का बायबैक	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और इक्विटी पूंजी बकाया	**16.50**	**165.00**	**16.50**	**165.00**

11 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
प्रतिधारण आमदनियां:		
आरंभिक शेष	3.92	3.10
जमाः लाभ व हानि विवरण में अतिरेक से अंतरण	-2.11	0.82
समापन शेष	**1.81**	**3.92**
सकल योग	**1.81**	**3.92**

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन

(ख) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती हैं।

12 वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

12.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
रक्षित:		
(क) धारक कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	309.70	240.85
कुल	**309.70**	**240.85**

नोट:

(क) अन्य अल्पकाली ऋणों के लिए पनर्भुगतान की शर्तों और अन्य रक्षित दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में उपलब्ध प्रतिभूति का ब्यौरा :-

(रूपए करोड़ में)

प्रतिभूति का विवरण एवं अवधि	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रक्षित ऋण) ऋणी की सभी अचल परिसंपत्तियों और चल परिसंपत्तियों के आडमार द्वारा रक्षित, शुल्क, राजस्व परियोजना करार, बीमा दावा, अमूर्त परिसंपत्तियां , एस्क्रो खाता और अन्य, परिसंपत्तियां (नीचे नोट ii का संदर्भ लें)	337.85	240.85
घटा: चालू परिपक्वताएं (अगले वित्तीय वर्ष में पुन:देय राशि) नोट 13.1- वित्तीय देयताएं चाल ऋण में प्रदर्शित	28.15	-
बकाया राशि	**309.70**	**240.85**

(ख) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लिए ऋण की अनुमोदन शर्तों के अनुसार, देय ब्याज एसबीआई की मूल दर +0.50 प्रतिशत के समतुल्या होगी, जो वर्तमान में प्रति माह देय के अनुसार प्रतिवर्ष 9.15 है। कंपनी ने मूल संगठन इरकॉन सेऋण पुनर्भुगतान अवधि कोबढाने का अनुरोध किया है क्योंकि ऋण करार में मोरेटोरियम खंड की तर्ज पर अभी परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ होना बाकी है।

12.2 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट 42)	-	-
अन्य		
अन्य ठेकेदार व आपूर्तिकर्त	-	-
(ख) संबंधित पक्ष (संदर्भ नोट 23 and 36 (ग)	-	-
कुल	**-**	**-**

13 वित्तीय देयताएं (चालू)

13.1 ऋण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
रक कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	28.15	-
कुल	**28.15**	**-**

13.2 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम (संदर्भ नोट 42)	-	-
अन्य		
अन्य ठेकेदार व आपूर्तिकर्त	1.24	0.24
(ख) संबंधित पक्ष (संदर्भ नोट 23 and 36 (ग)	1.41	19.12
कुल	**2.65**	**19.36**

वित्तीय देयताएं (चालू)

14 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अन्य देय (स्टाफ देय सहित)	1.06	0.42
कुल	**1.06**	**0.42**

15 अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सांविधिक देय	2.42	2.42
कुल	**2.42**	**2.42**

16 प्रावधान

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अन्य प्रावधान	16.10	150.21	0.07
		150.21	**0.07**
घटाः संदिग्ध परिसंपत्यिों केलिए हानि प्रावधान (पृथक रूप से प्रस्तुत)		-	-
कुल		**150.21**	**0.07**
चालू		**150.21**	**0.07**
गैर चालू		**-**	**-**

एएस-37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रावधान संचलन का प्रकटन निम्नानुसार हैः

16.1 अन्य प्रावधान:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	प्रत्याशित घाटे	अभिकल्प गारंटी	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2017 को	**0.04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.04**
चाल	-	-	-	-	-	-
गैर चाल	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.03	-	-	-	-	0.03
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बटटाखाता	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**0.07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.07**
	0.07	-	-	-	-	0.07
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
घटाः वर्ष के दौरान बट्टाखाता	-	-	-	-	150.21	150.21
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	0.07	-	-	-	-	0.07
घटाः वर्ष के दौरान बटटाखाता	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.21**	**150.21**
चाल	**-**	**-**	**-**	**-**	**150.21**	**150.21**
गैर चाल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

17. प्रचालनों से राजस्व

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के अंतर्गत निर्माण सविदा राजस्व (संदर्भ नोट 27)	13.16	-
टोल प्रचालनों से राजस्व	4.74	-
अन्य राजस्व		
- अन्य प्रचालनिक राजस्व	338.17	277.54
कुल	**356.07**	**277.54**

18. अन्य आय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय:				
बैंक ब्याज सकल	0.73		1.26	
घटा: ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज	-	0.73	-	1.26
अन्य:				
विविध आय		0.09		0.01
कुल		**0.82**		**1.27**

19. परियोजना एवं अन्य व्यय

(रूपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		158.27	255.09	-	-
टोल रोड व्यय		1.07	-	-	-
कार्य उप ठेके(कार्यक्षेत्र में परिवर्तन)		15.27	-	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण एवं सर्वेक्षण व्यय आदि		2.03	2.42	-	-
मशीनरी का मरम्मत और अनुरक्षण		0.08	-	-	-
किराया - गैर आवासीय		0.09	0.07	-	-
दर एवं कर		-	0.04	-	-
ऊजा विदयुत और जल प्रभार		0.99	-	-	-
बीमा		0.52	0.35	-	-
यात्रा एवं कन्वेयेंस		0.03	0.02	-	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी		0.01	-	-	-
पोस्टेज, टेलीफोन व टैलेक्स		0.02	-	-	-
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		0.17	0.12	-	0.01
सुरक्षा सेवा		-	-	-	-
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	(i)	-	-	0.01	0.01
विज्ञापन और प्रचार		-	-	0.04	-
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 46)		-	-	0.05	-
विविध व्यय		0.07	-	-	-
प्रावधान (जमा- पश्चलिखित) (संदर्भ नोट 16)		150.21	0.03	-	-
उपयुक्त प्रावधान (संदर्भ नोट 16)		-	-	-	-
कुल		**328.83**	**258.14**	**0.10**	**0.02**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान:

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू	0.01	0.01
(ख) कर लूखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	-	-
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	-	-
(घ) प्रमाणन शुल्क	-	-
(ड.) यात्रा और आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-
- यात्रा व्यय	-	-
- आउट ऑफ पॉकेट भत्ता	-	-
कुल	**0.01**	**0.01**

Publi

20. कर्मचारी परिश्रमिक और लाभ

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु		
	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, परिश्रमिक और बोनस*	2.36	-	2.36	2.27	-	2.27
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	0.14	-	0.14	0.17	-	0.17
विदेशी सेवा अंशदान	-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ	0.29	-	0.29	0.32	-	0.32
कर्मचारी कल्याण	-	-	-	-	-	-
कुल	**2.79**	**-**	**2.79**	**2.76**	**-**	**2.76**

* (संदर्भ नोट 37 - निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक)

21 21. वित्तीय लागत

(रूपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	
इरकॉन से ऋण पर ब्याज व्य		25.22		16.64	
घटा: ऋण निधि पर अर्जित ब्याज		0.01		0.04	
ऋण पर निवल ब्याज व्यय		25.21		16.60	
घटा: रेल भूमि विकास प्राधिकरण को अग्रिम पर ब्याज		-	25.21	-	16.60
अन्य ऋण लागत					
			0.01		0.03
- बैंक गारंटी व अन्य प्रभार					
कुल			**25.22**		**16.63**

22 22. मूल्यह्रास परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति , संयंत्र व उपकरण	-	-
अमर्त परिसंपत्तियां	2.77	-
निवेश परिसंपत्तियां	-	-
परिसंपत्तियों की हानि	-	-
कुल	**2.77**	**-**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (सीआईएन - U45400DL2014GOI272220)

23. वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष संव्यवहार

(रूपए करोड़ में)

		संव्यवहार (रूपए में)		बकाया राशि	
संबंधित पक्ष कानाम	**विवरण**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान**	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान**	**31.03.2019 को**	**31.03.2018 को**
	इक्विटी में निवेश			165	165
	ऋण	97	160.85	337.85	240.85
	अन्य देय - परियोजनाएं			1.4127733	19.1152468
	अन्य देय - मुख्यालय			0.7994915	0.4115141
	अन्य प्राप्य		0	0	0
	सेवाएं प्रदान करना				
	कार्य संविदाएं (जीएसटी के बिना)	154.9127969	237.4694664		
	उपयोगिता अंतरण (जीएसटी के बिना)	0	6.3067116		
	किराया (जीएसटी के बिना)	0.023166	0.02106		
	ऋण पर ब्याज	25.2205978	16.6416812		
	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	0	0		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	व्ययों की प्रतिपूर्ति	1.2887913	1.4249946		

नोट-24

क. उचित मूल्य मापन

(i) वितीय प्रलेखों का श्रेणीवार वर्गीकरण

परिसंपत्तियों और देयताएं जिनके लिए वितीय विवरणमें उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को समग्र रूप से उचित मूल्य मापन हेतु समूहित किया जाता है। तीन स्तर के इनपुट के आधार पर निम्नातनुसारण वर्णित उचित मूल्य क्रम के भीतर श्रेणीबद्धकिया जाता है:

- स्तर 1 कोट किया गया (समायोजित समरूपी परिसंपत्यिों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजारों मे बाजार मूल्य)
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण निम्नतर स्तर इनपुट का प्रत्यतक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 मूल्यांककन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु महत्पूर्ण निम्न तम स्तर इनपुट गैर अवलोकन किया जाता है।

क) 31मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय प्रलेखों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: *

(रू.में.)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ व हानि के माध्यम से उचत मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां				
म्यूयुवल फंड में निवेश	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपतियां				
(i) निवशे				
सहयक कंपनियां और संयुक्त उपक्रम में निवेश**	0			
कर मुक्त बांडों में निवेश (संचित ब्याज सहित)	0	0	0	0
(ii) ऋण	3200	0	0	0
(iii) व्यापार प्राप्य	151485769.3	0	0	0
(iv) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	12885700.2	0	0	0
(v) अन्य बैंक शेष	0	0	0	0
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां ***	1137822630	0	0	0
कुल	**1302197299**	**0**	**0**	**0**

(रू.में.)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	3378500000	0	0	
(ii) व्यापार प्राप्य	26569108	0	0	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं***	10644841	0	0	
कुल	3415713949			

ख) 31मार्च 2018 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय प्रलेखों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: *

(रू.में.)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ व हानि के माध्यम से उचत मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्यिां				
म्यूयुवल फंड में निवेश	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपतियां				
(i) निवशे		0	0	
सहयक कंपनियां और संयुक्त उपक्रम में निवेश**	0	0	0	
कर मुक्त बांडों में निवेश (संचित ब्याज सहित)	0	0	0	
(ii) ऋण	332430	0	0	
(iii) व्यापार प्राप्य	0	0	0	
(iv) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	153088735.4	0	0	
(v) अन्य बैंक शेष	200000000	0	0	
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्यिां ***	1155739737	0	0	
कुल	**1509160903**	**0**	**0**	**0**

(रू.में.)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	2408500000	0	0	
(ii) व्यापार प्राप्य	193370242	0	0	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं***	4159569			
कुल	**2606029811**			

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है जिस पर सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में साधनों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचितमूल्य के अनुमान में प्रयुक्त होने वाली विधियां और अनुमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रयुक्त अनुमानों के समरूप हैं। उचित मूल्यों के मापन के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था :

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति (उचित एनएवी') पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरण में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं का उल्ले,ख है। एनएवी उस मूल्य दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

ii) इन वित्तीय विवरणों में परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्यों के उचित निकटन के बाद से है क्योंकि कंपनी को यह अनुमान नहीं है कि वहन की जाने वाली राशि उन मूल्यों से काफी भिन्न होगी जो अंततः प्राप्त होगी।

iii) वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और वर्तमान वित्तीय देनदारियों की वहन मात्रा मुख्य रूप से उनके अल्पकालिक स्वभाव के कारण उनके उचित मूल्य को अनुमानित करती है।

* वित्त वर्ष 2018-19 और 2017-18 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य मापों के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।
** सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापा जाता है।

*** अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वित्तीय देनदारियों में कुछ वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्यकंपनी के प्रचालन को वित्त प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, और नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन के लिए प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को कम नहीं किया है। सभी जोखिम मुक्तख जोखिम।.

क) बाजार जोखिम
बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं। लेन-देन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, क्योंकि उचित मूल्य पर इन्हें मापने का प्रभाव अपरिहार्य है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय रूप से संचालित होती है और उसे विदेशी मुद्रा जोखिम से अवगत कराया जाता है (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान आम तौर पर मेल खाते हैं) मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर और एमवाईआर। कंपनी के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से बचाव में हैं।
31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2018 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा की प्रत्येक 1% वृद्धिया कमी क्रमशः नील और निल द्वारा कर से पहले हमारे लाभ को प्रभावित करेगी।

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्यके अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ कर मुक्त बांड और जमा शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है। इसके अलावा, कंपनी को ऋण / उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर है।.

ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से ग्राहकों और निवेश प्रतिभूतियों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ रोकड़ संव्ययवहारों से उत्पन्न होता है, साथ ही साथ ग्राहकों के लिए ऋण जोखिम भी शामिल है, जिसमें बकाया खाते प्राप्य होते हैं। ऋण जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्यवित्तीय परिसंपत्तियों में नुकसान को रोकना है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, समकक्षों की ऋण गुणवता का आकलन करती है।

ऋण जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश जिसमें ग्राहक संचालित होता है, के चूक जोखिम सहित, ऋण जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है।

25 व 26. मूल तथा विलयित प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस)

(आंकड़े करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2019**
मूल ईपीएस (नोट-25 (क)/(ख))	-0.127878788	0.04969697
विलयित ईपीएस (नोट-26 (ग)/(घ))	-0.127878788	0.04969697

(आंकड़े करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2019**
इकिवटी धारकों को देय लाभः		
निरंतर प्रचालन	-2.11	0.82
बंद प्रचालन	0	0
प्रति शेयर मूल आमदनी हेतु इकिवटी धारकों को देय लाभ (क)	-2.11	0.82
परिवर्तन प्रफरेंशियल शेयरों पर ब्याज	0	0
विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित इक्विटी धारकों को देय लाभ(ख)	-2.11	0.82

31 मार्च 2019

विवरण	**31 मार्च 2019**	**31 मार्च 2019**
मूल ईपीएस हेतु इकिवटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या* ©	16.5	16.5
विलयन का प्रभाव		
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	0	0
परिवर्तन प्रफरेंशियल शेयरों	0	0
विलयन के प्रभाव हेतु समायोजित इकिवटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या* (घ)	16.5	16.5

*प्रति शेयर विलयित आय के उद्देश्यके लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या प्रति शेयर मूल आमदनी की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए सामंजस्य।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए मे.)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटों का प्रयोग करके व्यवस्था का मापन किया गया है।		
गैर चालू निवेश	0	0
गैर चालू ऋण	3200	3200
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपतियां	9964440	9617625
चालू निवेश	0	0
रोकड़ और रोकड़ समत्ल्य	12885700.2	153088735.4
अन्य बैंक शेष	0	200000000
चालू ऋण	0	329230
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्यिां	1127858190	1146122112
वित्तीय परिसंपतियां जिनके लिए सरलीकृत परिदृश्य का प्रयोग करके व्यवस्था का मापन किया गया है।		
व्यापार प्राप्य	151485769.3	0
संविदा परिसंपत्तियां	0	0

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा मापित घाटा व्यवस्था में परिवर्तन का सार

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आरंभिक व्यवस्था	0	0
वर्ष के दौरान प्रावधान	0	0
वर्ष के दौरान उपयोग	0	0
बट्टाखाता राशि	0	0
समापन व्यवस्था	0	0

वर्ष के दौरान कंपनीने घाटा व्यवस्था को स्वीकार किया है जो शून्य रूपए है (31 मार्च 2018 को शून्य रूपए)

ज़ीवनकाल संभावित ऋण घाटा परिदृश्य के प्रयोग द्वारा मापित घाटा व्यवस्था में परिवर्तन का सार

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
आरंभिक व्यवस्था	0	0
वर्ष के दौरान प्रावधान	0	0
वर्ष के दौरान उपयोग	0	0
बट्टाखाता राशि	0	0
(विनिमय लाभ) / हानि	0	0
समापन व्यवस्था	0	0

समीक्षा अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया।
वर्ष के दौरान, कंपनी ने हानि व्यवस्थाअ को मान्यता दी है, जो शून्य रूप है (31 मार्च, 2018: शून्य रुपये।

ग) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करके अपनी नकदी जोखिम का प्रबंधन करती है, जहां तक संभव हो, कि देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त नकदी होगी।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीतियों का मुख्यम ध्याउन पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का पूरा करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की देखरेख करता है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। मूल नुकसान हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्यके साथ, नीति में आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

एनएचएआई बांड एक निश्चित ब्याज दर रखते हैं, इस प्रकार वे बॉन्ड यील्ड दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपति होते हैं जिन्हें मासिक और फिर से निवेश किया जाता है।

31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2018 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा निम्नान्सार हैः

(रूपए में.)

विवरण	31 मार्च 2019 को		
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2वर्ष से अधिक
ऋण	970000000	1608500000	800000000
व्यापार प्राप्य	26569108	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	10644841	0	0

(रूपए में.)

विवरण	31 मार्च 2018 को		
	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2वर्ष से अधिक
ऋण	1608500000	800000000	
व्यापार प्राप्य	193370242	0	0
अन्य वित्तीय देयताएं	4159569		

घ) अत्यधिक जोखिम संभाव्यता

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में कार्यशील होते हैं, या समान आर्थिक विशेषताएं होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावि

जोखिम की अत्यधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों की पहचान व

ग. पूंजी प्रबंधन

पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि निवेशक, लेनदार और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। कंपनी पूंजी पर रिटर्न और साथ ही अपने इक्विटी शेयरों पर लाभांश के स्तर की निगरानी करती है। पूंजी का प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्यएक इष्टतम संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

कंपनी ने अपनी परियोजना को वित्त करने के लिए अपनी होल्डिंग कंपनी से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 970,000,000 / - (संचयी वित्त वर्ष 2018-19 रु. 3,378,500,000 तक) का सांविधि ऋण लिया है।

लाभांशः

(रूपए में.)

विवरण	31 मार्च 19	31 मार्च 18
प्रदत्त लाभांश	0	0
कुल	0	0

ऋण इक्विटी अनुपात

(रूपए में)

विवरण	31 मार्च 19	31 मार्च 18
ऋण (नोट. 11.1)	3096958333	2408500000
दीर्घकालीन ऋण	3096958333	2408500000
इकिवटी (नोट. 9)	1650000000	1650000000
अन्य इकिवटी (नोट. 10)	18072840.42	39294310.66
कुल इक्विटी	1668072840	1689294311
ऋण इक्विटी अनपात	2	2

नाट:-27

सार्वजनिक-से-निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट "ग" - सेवा रियायत व्यवस्था, इंड एएस-115 से "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार रिकार्ड की गया है। । यह एससीए इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आता है जिसकी दोनों शर्तें नीचे दी गई हैं:

क) गारंटर इस बात को नियंत्रित या विनियमित करता है कि प्रचालक को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किससे उन्हें प्रदान करना चाहिए, और किस कीमत पर; तथा

ख स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा- व्यवस्था की अवधि के अंत में ब्नियादी ढांचे में कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट ब्याज के माध्यम से नियंत्रित करता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को आरंभिक स्तर पर उस लागत पर स्वीकार किया जाता है जो प्रचालक को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क उस स्तर तक सशर्त हों, जिस पर सेवा का उपयोग किया जाता है।

इन अमूर्त संपत्तियों को आरंभिक तौर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे सेवा के उचित मूल्य के रूप में समझा जाए और साथ ही साथ इसमें प्रचालन के लिए उत्तरदायी अन्य लागत भी शामिल हैं। तत्पश्चात उन्हें रियायत की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) (प्रचालक) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ दिनाक 7 नवंबर 2014 को एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रवेश किया है, जिसके संदर्भ में एनएचएआई (अनुदानदाता) ने कंपनी को बीकानेर पलौदी खंड के चार लेन की परियोजना केविकास, वित्तपोषण , डिजाइन के इंजीनियर, प्रापण, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव लिए अधिकृत किया है और इसके पूरा होने पर अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग और/या लाभ प्राप्तइ करने का अधिकार प्रदान किया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईपीबीटीएल का दायित्व है कि वह बीकानेर-पलौदी खंड की चार लेन की परियोजना का निर्माण पूरा करे और परियोजना की परिसंपत्तियों को उन सभी परियोजनाओं परिसंपत्तियों सहित उचित कार्यशील स्थिति में रखे, जिनकी जीवन अवधि समाप्त हो च्की है।

रियायत की अवधि नियुक्ति तिथि से 26 वर्ष होगी, जो दिनांक 14 अक्टूबर 2015 से आरंभ होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दी जाएंगी। समझौते के संदर्भ में सामग्री के उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉन पीबीटीएल के पास इस समझौते के अन्सार चूक की घटना को ठीक करने में सक्षम नहीं होने पर समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी राजस्व और लागत को निर्माण के पूरा होने के चरण के संदर्भ में इंड एएस-115 के अनुसार स्वीकार करती है। कंपनी संदिवा राजस्व को उचित मूल्य पर मापती है। व्यवस्था के निर्माण के चरण के दौरान, कंपनी की 520.76 करोड़ की संपत्ति (अपने संचित अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान किया जाता है, जिसे एनएचएआई से इक्विटी का समर्थन प्राप्त है) को एक अमूर्त संपत्ति (बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ता को प्रभारित करने के लिए लाइसेंस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 15.09.19 को 95.96% भौतिक समापन के लिए अनंतिम सीओडी प्राप्त किया गया है, उस सीमा तक अमूर्त संपत्ति बनाई गई है। 4.88 करोड़ रुपये विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्यिों के रूप में उपलब्धर हैं। कंपनी ने राजस्व को रूपए में स्वीपकार किया है। सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त संपत्तियों के निर्माण पर 356.07 करोड़ रुपये और 338.17 करोड़ रुपये शामिल हैं, सेवाओं के दायरे में परिवर्तन के लिए निर्धारित सेवाओं (सीओएस) के रूप में आगे 13.16 करोड़ रुपये है, एनएचएआई द्वारा जो दिनांक 31.03.19 को समाप्त वर्ष के लिए वसूलीयोग्य है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण पर शून्य लाभ को स्वीदकार किया है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के संबंध में स्वी कार्य राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। टोल रोड के 95.96% भौतिक समापन के बाद टोल रोड का प्रचालन दिनांक 15 फरवरी 2019 से शुरू हो गया है, और कंपनी ने टोल सड़कों के प्रचालन से 4.74 करोड़ रूपए के राजस्व के रूप में उपयोग श्ल्कप को स्वीयकार किया है।

रियायत समझौते के अनुसार यातायात सीमा के ऊपर एकत्रित उपयोग शुल्क को अतिरिक्त शुल्क कहा जाता है। चूंकि टोल रोड अभी तक 100% पूरा नहीं हुआ है और वर्तमान में अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रावधान या आकलन नहीं किया गया है।

निर्माण संविदा

इंड एएस-115 "ग्राहकों से साथ अन्बंध से राजस्व" में आवश्यक प्रकटीकरण के संदर्भ में, त्लन पत्र की तारीख तक के वित्तीय विवरणों में विचार की गई राशि इस प्रक

रूपए करोड में

विवरण	**31.03.2019**	**31.03.2018**
निर्माण गतिविधियों से स्वीकृत राजस्व	351.326872	277.54
टोल प्रयोग शुल्क से स्वीकृत राजस्व	4.74	0
लाभ/हानि में वहन एवं स्वीकृत लागत की सकल राशि	351.326872	277.54
संविदा कार्यों हेतु ग्राहक से देय सकल राशि	14.73711977	0

28. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(i) आकस्मिक देयता:

(क) कंपनी के प्रति दावा जिस ऋण नहीं माना गया है - शून्य रूपए (पिछले वर्ष-शून्य)।

(ii) आकस्मिक परिसंपत्तियां: शून्य

29. प्रतिबद्धता:

(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल) 214.55 करोड़ रूपए है (पिछले वर्ष -1145.92 करोड़ रूपए)।

(ख) कंपनी के विरूद्ध कतिपय दावां को ऋण को रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जो 7.20 करोड़ रूप (7.20 करोड रूपए) मूल्य कि हैं और प्रावधान का निवल शून्य रूपए (शुन्य रूपए) है। प्रचालनिक समस्याओं (आरेखनों के अनुमोदन में विलंब, स्थानीय ग्रामवासियों की मांग, उपयोगिता अंतरण, भूमि अधिग्रहण और उपलब्धता, वन क्लियरेंस में विलंब) के कारण परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब हुआ। कंपनी ने कंपनी के प्रति क्षतिपूर्ति/वित्तीय परिणाम के बिना रियायत करार के खंड 12.4.2 के अंतर्गत लक्ष्य समयसीमाओं में आशोधन करने के लिए एनएचएआई से अनुरोध किया है। कंपनी का स्वतंत्र इंजीनियर से लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआईनेदिनांक31 मार्च 2019 को क्षतियों के कारण 7.20 करोड़ रूपए की राशि की कटौती (31 मार्च 2018 तक 7.20 करोड़) की है। इसलिए, आईपीबीटीएल ने विलंबों के विरूद्ध दावे को देयताया आकस्मिक देयता के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

7.20 करोड़ रूपए की राशि वित्तीय परिसंपत्यिां- चालू के अंतर्गत अन्य प्राप्यों के रूप में वसूलीयोग्य है और इसे अभी एनएचएआई से प्राप्त किया जाना है/पुष्टि की जानी है।

30. ऋणदाताओं, अग्रिमों और देनदारों के अंतर्गत दर्शाए गए कुछ शेष पुष्टि/समायोजन/ पुनर्विनियोजन, यदि कोई हो के अध्याधीन हैं। कंपनी पक्षों से पुष्टि हेतु पत्र भेज रही है। तथापि, इसकी वसूलीयोग्यता/भुगतान के सबंध में यहां कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है।

31. प्रबंधन के मतानुसार, व्यावसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर उसे तुलनपत्र में अंकित किया गया है।

32 (क) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विदेशी विनिमय:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
i) लाभ या हानि	शून्य	शून्य
ii) अन्य वृहत आया	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

(ख) अनहैज्ड विदेशी मुद्रा प्रभाव का प्रकटन - शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा में अर्जन (संचित आधार पर) - शून्य

(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय (संचित आधार पर) - शून्य

(ड.) आयातों का सीआईएफ मूल्य - शून्य

(च) सामग्री एवं एम्प; प्रयुक्त भंडारण - शून्य

33. पट्टों संबंधी प्रकटन

I. प्रचालन पट्टों पर प्राप्त परिसंपत्तियां :

कंपनी की पट्टा व्यवस्थाएं कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग, कार्यलय, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के लिए परिसरों के प्रचालनिक पट्टे के संबंध में है। अधिकतर पट्टा व्यवस्थाएं रद्द किए जाने योगय हैं और सामान्य रूप से इन्हें आपसी रूप से सहमत शर्तों पर नवीकृत किया जाता है। वर्ष के दौरान पट्टा भुगतानों की राशि निम्नानुसार है।

(क) पट्टा भुगतान (वसूलियों का निवल), कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग हेतु परिसरों के संबंध मं -शून्य रूपए (पिछले वर्ष - शून्य रूपए)।

(ख) कार्यालय परिसरों, गेस्टहाउस तथा ट्रांजिट कैम्पों के संबंध में पट्टा भुगतान - 0.09 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष - 0.06 करोड़ रूपए) (नोट 19 पर परियोजना व्ययों एवं अन्य व्ययों में शामिल)।

।।. प्रचालनिक पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति : शून्य

34. सेगमेंट रिर्पोटिंग

क. सामान्य सूचना

(i) कंपनी ने भौगोलिक परिदृश्य से रिपोर्ट योग्य सेगमेंट निर्धारण किया है।

(ii) क्षेत्रों की रिपोर्टिंग मुख्य निर्धारक द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों के अनुसार बनाया गया है! कंपनी ने केवल एक रिपोर्टिंग सीमेंट को चिह्नित किया है।

35. अन्य निकायों में हित - शून्य

36. संबंधित पक्ष प्रकटन : इंड एएस के अनुसार चिह्नित किए जाने वाले संबंधित पक्ष।
(क) उपक्रम जहां नियंत्रण विमान है - आईपीबीटीएल की 100 प्रतिशत धारिता इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

धारक कंपनी :

- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सीईओ: श्री अजय कुमार सिंह को दिनांक 27.02.2015 से कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 27.02.2019से मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है। तत्पश्चात श्री अतुल कुमार को श्री अजय कुमार सिंह के स्थान पर दिनांक 27.02.2019 से वित्तीय वर्ष के समापन तक कंपनी के कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

श्री अतुल कुमार ने दिनांक 10.04.2019 से मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है। तत्पश्चात श्री एम.के शर्मा को दिनांक 10 अप्रैल 2019 से कंपनी के कार्यपालक अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीयस कार्मिक के रूप में नामित किया गया है।

सीएफओ: श्री संदय पोद्दार को धारक कंपनी द्वारा इस कंपना का मुख्य वित्त अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है और दिनांक 20 फरवरी 2018 से मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में घोषित किया गया था।

कंपनी सचिव: सुश्री सुदोधनी को दिनांक 17 मार्च 2015 से कंपनी के कंपनी सचिव के रूप में पदनामित किया गया है।

ग) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों का प्रकटन:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	वर्षक के दौरान संव्यवहार		संविदाओं/व्यवस्थाओं का विवरण
	2018-19	2017-18	संव्यवहार की प्रकृति
1. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (उपर्युक्त ख) का पारिश्रमिक और अन्य निदेशकों का बैठक शुल्क	नोट 367 के अनुसार (नीचे)		
2. वस्तुओं और सेवाओं (सीएसआर व्ययों सहित) की खरीद/पीपीई का पट्टा/कोई अन्य संव्यवहार			
धारक कंपनी			
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	154.91	237.46	ईपीसी संविदा
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.00	6.31	उपयोगिता अंतरण
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.02	0.02	किराया
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	25.22	16.64	ऋण पर ब्याज
कुल	180.15	260.43	
2. धारक कंपनी से ऋण			
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड - संवितरित	97.00	160.85	कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण्
5. प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्यय (आय)	1.29	1.42	

संबंधित पक्षों को/से देय राशि का प्रकटन

विवरण	राशि	
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
देय राशि		
1) सेवाओं और अन्य व्ययों हेतु		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2.21	19.52
2) बकाया ऋण		
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	337.85	240.85

37. निदेशकों*/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के परिश्रमिक का ब्यौरा:-

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
I	वेतन एवं भत्ते*	0.55	0.51
II	भविष्य निधि, पेंशन में अंशदान	0.04	0.04
III	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
IV	बैठक शुल्क	0.00	0.00
V	अन्य भत्ते	0.16	0.04
	कुल	**0.75**	**0.59**

* इरकॉन पीबीटीएल में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पांच अंशकालीन नाम की निदेशक हैं, जिन्हें धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है और ऐसे अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

38. कंपनी को दिनांक 15 फरवरी 2019 को अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त हुई है। क्योंकि प्रचालन अभी आरंभ हुए हैं और अंतिम सीओडी तिथि प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक संशोधन) नियम 2016 के नियम-3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद-13 में अधिसूचित एंड एएस-36 'परिसंपत्तियों की हानि" की शर्तों के अनुसार वसूलीयोग्य मूल्य तथा वहनीय लागत के निम्नतर आधार पर वसूली जाने वाली राशि के आकलन द्वारा परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है।

39. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है और वे धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के रोल में हैं। उनके भविष्य निधि अंशदान, पेंशन अंशदान, उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को धारक कंपनी से प्राप्त बीजकों/ऋण पत्रों के आधार पर लेखांकित किया जाता है। लेखांकन मानक -19 (सांशोधित) की शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कम्रचारियों के उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा अपनी लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

40. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन *

(क) राजस्व से असंयोजन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार	-		
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:;			
समयोपरि	-	351.32	351.32
समय बिंदु पर	-	4.74	4.74
कुल	-	356.06	356.06
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि			
इनपुट विधि	-	356.06	356.06
आउटपुट विधि	-		
कुल	-	356.06	356.06
भौगोलिक बाजार:			
घरेलू	-	356.06	356.06
अंतरराष्ट्रीय	-		
कुल	-	356.06	356.06

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार			
निष्पादन दायित्व के संतोष का समय:			
समयोपरि	-	277.54	277.54
समय बिंदु पर	-		
कुल	-	277.54	277.54
निष्पादन दायित्व के मापन की विधि			
इनपुट विधि	-	277.54	277.54

आउटपुट विधि	-		
कुल	-	277.54	277.54
भौगोलिक बाजार:			
घरेलू	-	277.54	277.54
अंतरराष्ट्रीय	-		
कुल	-	277.54	277.54

(ख) सेगमेंट सूचना में प्रकट राशि सहित ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का विनियोजन: सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व 356.06 करोड़ रूपए (277.54 करोड़ रूपए) है।

(ग) कंपनी ने इंड एएस 115 - "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" के अनुप्रयोग हेतु आशाधित पूर्वगामी परिदृश्य को अपनाया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 के प्रतिधारित आमदनी पर इसका शून्य प्रभाव हो।

(घ) संविदा शेष:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 7.1)	15.14	0
संविदा परिसंपत्तियां	0	0
संविदा दायित्व	0	0

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में उपयोगिता अंतरण प्रतिभूतियों के लिए भुगतान शामिल है और इसमें आपसी सहमति से कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, यदि कोई हो, जिसमें 60 से 180 दिनों की अवधि कारण या जब कार्य प्रमाणित हो, शामिल है। कंपनी द्वारा बीओपी (निर्माण प्रचालन अंतरण) के अंतर्गत निष्पादित की जा रही परियोजना मॉडल और भुगतान एवं एनएचएआई द्वारा अतिरिक्त कार्य, यदि कोई हो, शामिल है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से

देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित

शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य

(ड.) निम्न अवधि में राजस्व स्वीकृति:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
निर्माण संविदाओं में अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
ग्राहाकों से देय राशि	शून्य	शून्य

(ii) चालू रिपोर्टिंग अवधि में कोई राजस्व स्वीकार नहीं किया गया है जो निष्पादन दायित्वों से संबंधित है जो पूर्व अवधि में संतुष्ट किया गया था।

(च) प्रमुख अनुरक्षण हेतु प्रावधान

चूंकि संपूर्ण टोल रोड में अभी रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भौतिक और वित्तीय समापन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए प्रचालन के अंतर्गत टोल रोड परियोजना के जीवनकाल पर अनुरक्षण कार्य के लिए लागत का आकलन निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए इस क्षेत्र में चालू रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(छ) असंतुष्ट दीर्घकालीन संविधान

निम्नलिखित तालिका दीर्घकालीन निर्माण संविदा के परिणामस्वरूप असंतुष्ट निष्पादन दायित्वों को दर्शाती है:

विवरण	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2018 को**
दिनांक 31 मार्च को आंशिक या पूर्ण असंतुष्ट दीर्घकालीन निर्माण संविधान के संव्यहार आवंटित मूल्य की समग्र राशि	शून्य	शून्य

*इंड एएस-15 में अंतरण प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 को असंतुष्ट निष्पादन दायित्व आंशिक के अंतरण आवंटित मूल्य को प्रकट नहीं किया गया है।

प्रबंधन आशा करता है कि दिनांक 31 मार्च 2019 को असंतुष्ट संदिवा के संव्यवहार आवंटित मूल्य को भविष्य में निम्नानुसार राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाए:

(रूपए करोड़ में)

	31 मार्च, 2919**
एक वर्ष या कम	शून्य
एक वर्ष से दो वर्ष तक	
दो वर्ष से अधिक	

** ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमिति है।

41(क) राजस्थान राज्य में डीबीएफओटी (अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण तथा प्रचालन, और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के किमी 4.200 से किमी 55.250 तक चार लेन तथा किमी 55.250 से किमी 163.500 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के रूप में मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएआई द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए दिनांक 15 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त हो गई है।

कंपनी ने फरवरी 2019 के लिए प्रमाणित स्वतंत्र इंजीनियर आकलन के अनुसार भौतिक प्रगति का कार्य 95.53 प्रतिशत पर पूरा कर लिया है। टोल रोड के लिए अनुमानित कुल इंजीनियर का निर्माण संविदा लागत को संशोधित किया गया है और प्रबंधन द्वारा इसे 807.4 करोड रुपए के कुल मूल्य पर स्वीकृत किया गया है। भौतिक प्रगति के आधार पर आनुपातिक मूल्य 774.96 करोड़ रुपए है। तदनुसार कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्त्यिों के विकास के अंतर्गत अधिकार को 774.96 करोड रुपए पर अंतरित किया है। इसके अतिरिक्त 15 फरवरी 2019 तक किए गए अन्य व्यय 54.57 करोड रुपए के हैं, जिनमें अमूर्त परिसंपत्तियों- सड़क के विकास के अंतर्गत अधिकार के अंतरण के 39.18 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज भी शामिल है।

(ख) मार्च 2019 के दौरान, भौतिक प्रगति में 0.58 प्रतिशत (95.93 प्रतिशत से 96.51 प्रतिशत तक) की वृद्धि हुई है। कंपनी ने किए ए कार्या के लिए अपने उठेकेदारों से कार्य बिल प्रप्त नहीं किए हैं, इसलिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्त्यिों के अंतर्गत 64.88 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 माह के लिए ऋण पर ब्याज सहित 0.20 करोड़ रूपए के अन्य व्यय को विकासाधीन अमूर्त अधिकार के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है। (4.07 प्रतिशत के शेष कार्य और कंपनी टोल प्रचालन के मध्यम विनियोजन)।

(ग) भारतीय लेखांकन मानक इंड एस-115 के अनुसार (अनुबंध-ग), एनएचएआई से सेवा रियायत करार - रोकड़ सहायता हेतु अनुदन को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया गया है, जहां उपयुक्त संगत आश्वासन उपलब्ध है कि अनुदान सहायता प्राप्त होगी और कंपनी सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी। इसके लिए लेखांकन उपचार को ऊपर उल्लिखित इंड एस-115 के अनुसार किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक 337.5 करोड रुपए तक के ऋण प्राप्त किए हैं और सेवा रियायत करार के अनुसार कंपनी द्वारा स्वीकृत अनुदान की अनुपातिक राशि 313.8 5 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 223.74 करोड रुपए) है, जो मूल परियोजना लागत और मूल्य

वित्तीय पैकेज के अनुसार है। इसे भी देय राशि माना गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों- सड़क की राशि को स्वीकृत अनुदान से घटाया है

कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक कुल देय राशि में से 210.46 करोड़ से प्राप्त हुए हैं । 103.39 करोड़ रूपए की शेष राशि एनएचएआई से अभी प्राप्त होनी है (88 लाख रूपए की आहरित राशि शामिल हैं)।

उपयुक्त प्राप्त शेष राशि में से एनएचएआई ने अभी 7.20 करोड रुपए विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए और 5.2 करोड रुपए इक्विटी सहायता के रूप में यथा कुल 12.40 करोड रुपए की राशि जारी नहीं की है, जो परिकलन की भिन्न विधि के कारण है (आईपीबीटीएल द्वारा इक्विटी प्राप्त करने से पूर्व ऋण के रूप में 17 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए)। ऊपर उल्लिखित नोट-29 के अनुसार क्षति से संबंधित मामलों पर आईपीबीटीएल ने सहमति व्यक्त नहीं की है। इसी प्रकार अन्य राशि यथा 17 करोड़ रूपए के परिकलन पर भी आईपीबीपीटीएल ने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है। इसलिए एनएचएआई से प्राप्य राशि 103. 9 करोड रुपए है (पुष्टि के मद्देनजर) जिसमें वसूलीयोग्य रूपए में लेखा बहियों में प्रदर्शित 88 करोड रुपए की राशि शामिल है।

एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को बिजली की लाइनों, पानी के पाइपों और टेलीफोन केबलों सहित उपयोगिता सेवाओं के स्थानान्तरण का कार्य करने की आवश्यकता है, यदि ये उपयोगिता सेवाएं परियोजना के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पर सामग्रीगत प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। इस प्रकार की सेवाओं के स्थानान्तरण की लागत प्राधिकरण (एनएचएआई) उस सेवा के स्वामी निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

कंपनी ने एनएचएआई की स्वीकृति के पश्चात उपयोगिता के सम्पूर्ण कार्य को बैक-टू-बैक आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को उपठेके पर अंतरित किया है। दिनांक 31 मार्च 2019 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने कंपनी को 34.68 करोड़ रुपए (31.03.2018 तक 41.25 करोड़ रूपए) का बिल प्रस्तुत किया है। कंपनी नियमित रूप से एनएचएआई के समक्ष दावे प्रस्तुत करता है और इसका पुनर्विनियोजन किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च 2019 तक इन दावों के प्रति एनएचएआई से 26.53 करोड़ रूपए रुपए (टीडीएस सहित) प्रस्तुत हुए हैं। 8.66 करोड़ रूपए शेष राशि को चालू-व्यापार प्राप्य के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एनएचएआई के साथ समाधान के अधीन है और इसे अभी एनएचएआई से प्राप्त/पुष्टि की जानी है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उपयोगिता शिफ्टिंग पर एनएचएआई द्वारा काटे गए श्रम उपकर पर व्यय को लेखांकित नहीं किया है क्योंकि समाधान लंबित है और श्रम उपकर की राशि गणनायोग्य नहीं है।
चूंकि एनएचएअई ने श्रमउपकर की कटौती की है, इसलिए, कंपनी ने 30.05 लाख रूपए की राशि के उपयोगिता शिफ्टिंग के प्रति श्रम उपकर की अतिरिक्त कटौती की है।
कंपनी ने अन्य वसूलीयोग्य के अंतर्गत जमा श्रम उपकर की राशि को अतिरेक दर्शाया है और इसे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से अगले बीजक से समायोजित किया जाएगा। श्रम उपकर सम्पूर्ण परियोजना मूल्य पर देय है।

(च) 57.47 लाख रूपएके प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों में दी गई है क्योंकि उपोगिता शिफ्टिंग पर पूर्ववती वेट व्यवस्था में एनएचएआईक्षक्षरा वेट की कटौती की गई है। ग्राहकोंऔर कर विभाग से इसकी वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। उपयोगिता शिफ्टिंग के कारण एनएचएआई से देय राशि की वसूली समायोजन के अधीन है। यहद उपयोगिता शिफ्टिंग पर एानएचएआई द्वारा वेट की कटौती की जाती है तो प्राप्य कार्य संविदाओं पर वेट की राशि में तदनुसार वृद्धि हो जाएगा।

वर्ष के दौरान कंपनी को एनएचएआई से "कार्यक्षेत्र में परिवर्तन" के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। सेवा रियायत करार के अनुच्छेद-16.3.2 के अनुसार, कुल परियोजना लागत के 0.2 5% को आईपीबीटीएल द्वारा वहन किया जाएगा और शेष की प्रतिपूर्ति एनएचएआई द्वारा की जाएगी। कंपनी ने 17.09 करोड रुपए के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए एनएचएआई को बीजक प्रस्तुत किया है और इसे राजस्व के रूप में स्वीकार किया गया है। 14.47 करोड़ रुपए को व्यापार प्राप्त के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एनएचएआई के साथ विनियोजनाधीन है और ऐसे प्राप्त एनएचएआई से प्राप्त/ पुष्टि की जानी बाकी है।

कंपनी को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूचना प्राप्त हुई है,जो नोट संख्या-13.2 के रूप में प्रकट किया गया है। इस सूचना के अनुसार लघु और मध्यम उद्यमों को 31 मार्च 2019 को शून्य रूपए (शून्य रूपए) देय हैं।

43. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना पर स्थिति सरकारी स्कूलों में शेक्षिक अवसंरचना के विकास के प्रति 11,84,045 रूपए सहित 12,76,712 रूपए मूल्य और स्वच्छ भारत कोष में अंशदान के रूपए में 92,**667** रूपए

मूल्य के सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार) किए गए हैं। वित्तीय वर्श 2016-**17** तथा 2017-18 के लिए अग्रेणीत राशि सहित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर की संभावित राशि 7,49,573 रूपए रूपए है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परिकलित और इंड एएस समायोजनों के कारण परिकलित सीएसआर व्यय शामिल हैं। इस प्रकार, विस्तारित सम्पूर्ण सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्च की गई है।

(**i**) वर्ष के दौरन निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों पर 0.13 करोड़ रूपए (शून्य रूपए) खर्च एिक गए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2018-19**	**2017-18**
1.	भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मुलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख एवं स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	शून्य	शून्य
2.	विशेष रूप से बच्चों के लिए व्यावसायिक कौशल संवर्धन रोजगार और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का संवर्धन	शून्य	शून्य
3.	महिलाओं और अनाथों के लिए होम एवं होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम, डे केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	शून्य	शून्य
4.	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना	शून्य	शून्य
5.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	शून्य	शून्य
6.	बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना में सरकारी स्कूलों में शैक्षित अवसंरचना का विकास	0.12	शून्य
7.	स्वच्छ भारत कोष	0.01	शून्य
	कुल	0.13	0.00

(ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

क्र.सं	विवरण	रोकड़ में	रोकड़ में भुगतान किया जाना है	कुल
1.	निर्माण/अधिग्रहण परिसंपत्ति*			
2.	अन्य प्रयोजन	0.13	0.13	0.13

*परिसंपत्त्यिां खरीदी गईं और संबंधित संगठनों को सौंप दी गई हैं तथा उन्हें कंपनी द्वारा नहीं रखा गया है।

44. कतिपय पूर्व-अवधिराशियों को चालू अवधि प्रस्तुतीकरणों के साथ समरूपता हेतु पुन:वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकरणों का प्रचालनों के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसकेअतिरिक्त, पिछलेवर्ष के आंकड़ों को प्रकोष्ठ में दर्शाया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाया जा सके।

हमारी इसी तारीखा की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

कृते प्रवीन अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएल- 000044**एन**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**	**ह/-**
पी के अग्रवाल	**(दीपक सबलोक)**	**(अशोक कुमार गोयल)**	**(आनन्द कुमार सिंह)**
भागीर	**निदेशक**	**निदेशक**	**निदेशक**
सं.सं: 015159	**डीआईएन: 03056457**	**डीआईएन: 05308809**	**डीआईएन: 07018776**

	ह/-	**ह/-**	**ह/-**
स्थान : नई दिल्ली	**(संजय पोद्दार)**	**(एम के सिंह)**	**(सुदोधनी)**
दिनांक: 17.05.2019	**मुख्य वित्त अधिकारी**	**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**	**कंपनी सचिव**

इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(बीकानेर-फलौदी राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग-15, राजस्थान)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: 91-11-29565666, फैक्स:91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी:busi.info.irconpbtl@gmail.com